अध्याय III

संपादन लेखापरीक्षा

सरकार के विभागों, उनके क्षेत्र संरचनाओं के साथ–साथ स्वायत्त निकायों की संपादन लेखापरीक्षा से संसाधन प्रबंधन में कमियाँ एवं नियमितता, औचित्य और मितव्ययिता के मानकों के अनुपालन में विफलताओं के कई उदाहरण उजागर हुए। इन्हें कंडिकाओं के रूप में व्यापक विषय शीर्ष के अधीन प्रस्तुत किया गया है।

3.1 नियमों की अवमानना

बेहतर वित्तीय प्रशासन और प्रभावी वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमनों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुरूप हो। यह न केवल वित्तीय अनियमिताओं को बाधित कर सरकार को प्रतिफल हानि से बचाता है बल्कि अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में भी मदद करता है। नियमों और विनियमों की अवमानना पर, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को हानि हुई, कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, निम्नानुसार हैः

पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग

3.1.1 अलकतरे के कम उठाव तथा अनुपयोगित रहने से सरकार को हानि

अलकतरे के कम उठाव तथा अनुपयोगित रहने के कारण सरकार को ₹ 77.48 लाख का हानि हुई।

(क) बिहार लोक कार्य विभाग के संहिता नियम 276 के अनुसार सहायक अभियंताओं को भंडार की सामग्रियों, जिनका पिछले दो वर्षों में उपयोग नहीं किया गया है, की एक सूची कार्यपालक अभियंता को प्रस्तुत करना है। कार्यपालक अभियंता को ऐसी सामग्रियों के निपटान के लिए अधीक्षण अभियंता (अ.अ.) से आदेश प्राप्त करना होगा, जो (अ.अ.) अन्य अंचलों में इसे खपाने अथवा इनकी बिक्री द्वारा निपटान करने का हर संभव प्रयास करेगें।

पथ निर्माण प्रमंडल, भभुआ के अभिलेखों के नमूना जाँच (जून 2010) से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2003–04 में पथ एवं पूलों के पूँजीगत परिव्यय (5054) तथा मरम्मत एवं रखरखाव शीर्ष (3054) के तहत 204.267 टन खरीदा गया अलकतरा अधिप्राप्ति के बाद से ही भंडार में अप्रयुक्त तथा प्राकृतिक विभीषिकाओं के लिए खुले पड़े थे। अलकतरा के अनुचित भंडारण के कारण अलकतरा बह गया था तथा मिट्टी और घास–फूस में मिलने के कारण उपयोग हेतु अनुपयुक्त हो गया था। आगे यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा इस भंडारित अलकतरे के उपयोग हेतु कोई प्रयास भी नहीं किया गया। भंडारित अलकतरे के क्षति के कारण सरकार को ₹ 72.94[1] लाख की हानि हुई।

का. अभि. ने बताया (जून 2010) कि इसके निपटारा हेतु उच्चाधिकारियों से आवश्यक मार्गदर्शन माँगा गया था।

(ख) ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रा.का.वि.) के कार्य प्रमंडल, खगड़िया द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के अन्तर्गत पसराहा रेलवे स्टेशन से झंझाड़ा पथ (2.5 कि.मी.) का निर्माण

---

[1] *अलकतरा का मूल्य वर्ष 2008 के मूल्य पर आधारितः ₹ 35710 प्रति मे. टन।*

कार्य ₹ 66.35 लाख में एक संवेदक को प्रदान किया गया (मई 2007) जिसे छः माह के अन्दर नवम्बर 2007 तक पूरा करना था।

कार्य पूर्ण कर लिया गया था (दिसम्बर 2010) एवं संवेदक को किए गए कार्य के विरूद्ध 12 चलंत लेखा विपत्रों के माध्यम से कुल ₹ 64.32 लाख की राशि का भुगतान (जनवरी 2010) किया गया था।

कार्यपालक अभियंता (का.अभि.) ग्रा.का.वि., खगड़िया के अभिलेखों के नमूना जाँच (अप्रैल 2010) ने उजागर किया कि कार्य के कार्यान्वयन हेतु 24.75 मी. टन अलकतरा एवं 5.625 मी. टन इमलसन की आवश्यकता थी। इसके लिए का.अभि. ने भारतीय तेल निगम (भा.ते.नि.), पटना को आपूर्ति आदेश (नवम्बर 2007) जारी किया। आगे संवीक्षा ने उजागर किया कि कार्य में 30.30 मी. टन अलकतरे का ही खपत दर्शाया गया था। हाँलांकि, प्रमंडल ने लेखापरीक्षा को मात्र 15.629 मे. टन अलकतरे का बीजक उपलब्ध कराया। भा. ते. नि., पटना ने कार्य के आपूर्त्यादेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा मात्र 15.629 मी टन अलकतरा के उठाव की पुष्टि की। यह इंगित करता है कि संवेदक ने बिना वास्तविक उठाव एवं कार्य में उपयोग के हीं 9.05 मी. टन अलकतरा तथा 5.625 मी. टन इमलसन का अस्वीकार्य भुगतान प्राप्त किया। यह क्रियान्वित कार्य की गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिह्न खड़ा करता था।

इसे इंगित किए जाने पर, का.अ., ग्रा.का.वि., खगड़िया ने बताया कि शायद शेष चालान उसी संवेदक के अन्य पथों की संचिकाओं में मानवीय भूल–वश संलग्न हो गये होंगे जिसे बाद में लेखापरीक्षा को दिखा दिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भा.ते.नि., पटना ने लेखापरीक्षा को 30.30 मी. टन के प्रतिवेदित खपत के विरूद्ध मात्र 15.629 मी. टन के उठाव की पुष्टी कर दी थी। परिणामस्वरूप, संवेदक को ₹ 4.54[2] लाख का अदेय भुगतान हुआ।

इस प्रकार उपयुक्त दो मामलों में अलकतरा के कम उठाव पर अधिक भुगतान एवं अलकतरा के अप्रयुक्त होने के कारण बेकार होने से सरकार को कुल ₹ 77.48[3] लाख का हानि उठाना पड़ा।

मामले सरकार को सूचित (अगस्त 2011) किए गए, उत्तर अप्राप्त (नवंबर 2011) थे।

जल संसाधन विभाग

3.1.2 सरकार को हानि

वैधता अवधि के अंदर बैंक गारंटी भुनाने में विभाग की विफलता के अलावा प्रमंडलों द्वारा फर्जी बैंक गारंटी स्वीकार किए जाने के कारण सरकार को ₹ 2.89 करोड़ की हानि हुई।

बिहार लोक कार्य विभागीय संहिता (बि.लो.का.वि.) के नियम 172 (II) के तहत प्रावधान एवं निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू.) के अन्तर्गत शर्तों के तहत् एक करोड़ से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए, संवेदक/अभिकरण को आवश्यक रूप से राज्य के भीतर अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारण्टी (बैं.गा.) प्रस्तुत करना था। यदि कोई निविदाकार राज्य के बाहर का बैं.गा. प्रस्तुत करता है तब उसे एकरारनामे के

---

[2] *80/100 ग्रेड अलकतरा 9 .05 मे. टन x @ ₹ 34854.13/मे. टन – मूल्य 3.2.2009 के अनुसार = ₹ 3.15 लाख एवं इमलसन 5 .625 मे. टन x @ ₹ 24715.63/मे. टन – मूल्य 16.06.2009 के अनुसार = ₹ 1.39 लाख।*

[3] *₹ 72.94 लाख + ₹ 4.54 लाख = ₹ 77.48 लाख।*

क्रियान्वयन के समय राज्य के भीतर स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैं.गा. के द्वारा बाहरी बैंक द्वारा जारी बैं.गा. प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, बिहार लोक कार्य विभागीय संहिता भाग I के परिशिष्ट 'अ' के अन्तर्गत सरकार का निर्णय सं. 54 यह विहित करता है कि भुगतानों को विमुक्त करने के पूर्व संवेदकों द्वारा प्रस्तुत बैं.गारंटियों को विशेष दूत के माध्यम से संबंधित बैंकों से आवश्यक रूप से सत्यापन कराया जाना चाहिए। इसके अलावा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (स्टैं.बी.डॉ.) के उपबंध 10 बी (III) के अनुसार संयत्र और मशीनरी के विरूद्ध अग्रिम संवेदक द्वारा कार्यस्थल पर लाए गए संयंत्र और मशीनरियों के विरूद्ध हीं प्रदान किया जाएगा।

3.1.2.1 बैंक गारण्टी के समाप्ति के कारण हानि

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल (बा.नि.प्र.), मोकामा (बख्तियारपुर) ने बाढ़ अवस्थित नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपरेशन (ने.थ.पॉ.कॉ.) संयंत्र में नाला तथा पहुँच पथ के निर्माण हेतु मे. विजेता कन्सट्रक्सन प्रा. लि., राँची से ₹ 27.84 करोड़ का एक एस.बी.डी. एकरारनामा (जून 2007) किया। कार्य को एक वर्ष के अंदर यानि मई 2008 तक पूर्ण किया जाना था।

उपरोक्त एकरारनामा के लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2011) ने उजागार किया कि बि.लो.का.वि. संहिता के प्रावधान एवं नि.आ. सूचना की शर्तों के उल्लंघन में का.अ. ने राज्य के बाहर अवस्थित एक बैंक यथा इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, राँची (झारखण्ड) द्वारा ₹ 55.68 लाख का जारी किया गया एक बैं.गा.[4] जो 10 जून 2009 तक वैध था, स्वीकार किया। चूँकि अभिकरण ने मार्च 2009 तक ₹ 5.98[5] करोड़ का कार्य, जो मात्र 21 प्रतिशत ही था, पूर्ण कराया गया, का.अ., बा.नि.प्र., मोकामा ने अप्रैल 2009 में अनुबंध को रद्द किया। हाँलांकि, का.अ. ने एस.बी.डी. के उपबंध 3(अ) का उल्लंघन करते हुए बैं.गा. को एकरारनामा के रद्द होने के 67 दिनों के बाद तक रोके रखा। इसके बाद 8 जून 2009 यानि बैं.गा. वैधता की समाप्ति के 48 घंटे पहले, इसके नकदीकरण के लिए जारी करने वाले बैंक जो राँची में अवस्थित था, भेजा गया। चूँकि बैं.गा. 12 जून 2009 को प्राप्त किया गया था बैंक ने वैधता की समाप्ति के कारण इसे भुनाने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप दोषी संवेदक की प्रतिभूति जमा की राशि जब्त नहीं की जा सकी। बैं.गा. के 67 दिनों तक रोक रखने के विषय पर का.अ. द्वारा न तो कोई कारण बताया गया था और न हीं अभिलेखों में दर्ज हीं किया गया था।

इस प्रकार, का.अ. द्वारा बैं.गा. के विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 55.68 करोड़ की हानि हुई। जल संसाधन विभाग द्वारा कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

3.1.2.2 फर्जी बैंक गारण्टी के कारण हानि

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), सारण प्रमंडल, छपरा ने मे. राम प्रवेश राय एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक पथ कार्य[6] क्रियान्वयन हेतु ₹ 17.42 करोड़ का एक एस.बी.डी. एकरारनामा (फरवरी 2008) किया जिसे मई 2009 तक पूर्ण करना था। संवेदक ने

---

4 *बैं.गा. सं. 021002/165/2007/दिनांक 11.06.2007।*

5 *8वें चलंत लेखा विपत्र से, अभिश्रव सं. 21 दिनांक 26.03.2009 द्वारा।*

6 *मगरपाल चरकी के 0 से 16 किमी एवं सारण तटबंध के 20.151 के 35.20 किमी पथों में ऊँचीकरण, मजबूतीकरण तथा कालीकरण।*

निष्पादन प्रतिभूति[7], औजार एवं संयंत्र अग्रिम[8] तथा मोबिलाईजेशन अग्रिम[9] के विरूद्ध सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सी.बी.आई.), अम्बारा चौक शाखा, मुजफ्फरपुर का दिनांक 7 फरवरी 2008 का ₹ 3.15 करोड़ का नौ बैं.गा. प्रस्तुत किया। बैं.गा. एक वर्ष के लिए मान्य थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा (दिसम्बर 2010) ने निम्नलिखित विसंगतियों को उजागर किया:

- ₹ 3.15 करोड़ के बैं.गा., जिनकी वैधता फरवरी 2009 तक थी, की स्वीकृति अनियमित थी क्योंकि, यह कार्य पूर्णता की समस्त अवधि को आच्छादित नहीं करता था।
- का.अ. ने बैं.गा. के आवश्यक सत्यापन प्रतिवेदन (मार्च 2008) के प्राप्त होने के पूर्व ही कुल ₹ 1.74 करोड़ के मोबिलाईजेशन अग्रिम के विरूद्ध ₹ 1.50 करोड़ अनियमित रूप से विमुक्त (फरवरी 2008) किए।
- संवेदक को औजार एवं सयंत्र अग्रिम के रूप में ₹ 87.10 लाख का विमुक्त किया जाना अनियमित था एवं एस.बी.डी. के उपबंध 10(बी)(III) के अनुरूप नहीं था, चूँकि इस अग्रिम की स्वीकृति संवेदक द्वारा प्रस्तुत बैं.गा. के आधार पर, न कि कार्य स्थल पर औजार एवं संयंत्र के लाने पर दी गयी थी।
- प्रमंडल द्वारा जारी कई स्मारों (नवम्बर एवं दिसम्बर 2008) के बावजूद भी संवेदक ने ₹ 3.15 करोड़ के बैं.गा. का पुनर्वैधिकरण नहीं कराया। वरन्, उसने जनवरी 2009 में ₹ 87.11 लाख का नया बैं.गा.[10] प्रस्तुत किया। चूँकि संवेदक द्वारा शेष राशि हेतु बैं.गा. प्रस्तुत नहीं किए गए थे, प्रमंडल ने पिछले बैं.गा. के फिर से सत्यापन हेतु बैंक को संदर्भित (जुलाई 2009) किया। इसकी प्रतिक्रिया में जारीकर्ता बैंक ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2009) कि फरवरी 2008 में प्रस्तुत किए गए सारे बैं.गा. फर्जी थे।
- चूँकि संवेदक ने मात्र 19 प्रतिशत का ही कार्य संपादित किया था तथा नए बैं. गा. प्रस्तुत करने में विफल रहा, का.अ. द्वारा ₹ 3.45 करोड़ के भुगतान (मार्च 2010) के बाद कार्य रद्द कर दिया गया। हाँलांकि संवेदक के विरूद्ध ₹ 3.70[11] करोड़ का बकाया (मार्च 2010) था, उसके विपत्रों से अग्रिमों के विरूद्ध मात्र ₹ 50 लाख ही बरामद किया गया एवं ₹ 87.11 लाख का बैं.गा. प्रमंडल द्वारा जब्त कर भुनाया गया था। इस प्रकार संवेदक से ₹ 2.33 करोड़ का वसूली शेष थी। बाद में, लेखापरीक्षा की पहल पर उक्त संवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी (दिसम्बर 2010) दर्ज कराई गई।

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, सिवान ने बताया की एस.बी.डी. के उपबंधों के अनुसार का.अ., सारण प्रमंडल को बकाया राशि की वसूली हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए जा रहे थे। हाँलांकि संवेदक के विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण अप्राप्त (जून 2011) था।

---

7 *बी.जी. संख्या – 58 दिनांक 07.02.2008 -* ₹ ***54,10,000***

8 *बी.जी सं. 59 दि. 07.02.2008 -* ₹ *27,10,100,*
बी.जी सं. 60 दि. 07.02.2008 - ₹ *30,10,100,*
बी.जी सं. 61 दि. 07.02.2008 - ₹ *30,10,100.*
कुल ₹ ***87,30,300***

9 *बी.जी सं. 62 दि. 07.02.2008 -* ₹ *35,00,000*
बी.जी सं. 63 दि. 07.02.2008 - ₹ *35,00,000*
बी.जी सं. 64 दि. 07.02.2008 - ₹ *35,00,000*
बी.जी सं. 65 दि. 07.02.2008 - ₹ *35,00,000*
बी.जी सं. 66 दि. 07.02.2008 - ₹ *34,20,139*
कुल ₹ ***174,20,139***

10 *बैंक ऑफ बड़ोदा, मुख्य शाखा, पटना का* ₹ *87.11 लाख का बैं.ग्रा. सं. 157/31 मार्च 2010 तक के लिए पुनर्वैधिकरण।*

11 *कुल अग्रिम:* ₹ *174.20 लाख +* ₹ *87.11 लाख +* ₹ *108.69 लाख (सूद)=* ₹ *369.99 लाख या* ₹ *3.70 करोड़।*

उपरोक्त तथ्य जैसे बैं.गा. का अपने वैधता अवधि के भीतर नकदीकरण में विफलता, अग्रिमों की अनियमित देयता, फर्जी बैं.गा. की स्वीकृति और बैं.गा. का असत्यापन नहीं होना आदि प्रमंडलीय पदाधिकारियों के ओर से गंभीर खामियों को दर्शाते थे। नतीजतन, प्रमंडलों को ₹ 2.89[12] करोड़ की हानि हुयी और सारण प्रमंडल में कार्य पर ₹ 3.45 करोड़ का व्यय होने के बावजूद कार्य अपूर्ण रहा।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (मई 2011), उनके जबाव प्रतीक्षित (नवंबर 2011) थे।

3.2 औचित्य लेखापरीक्षा / आधिक्य / निरर्थक / अलाभकारी व्यय

लोक निधियों से व्यय का प्राधिकार लोक व्यय के औचित्य और सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित होता है। व्यय हेतु सक्षम प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वो व्यय करने में वही समान सतर्कता बरतेगा जो कि एक साधारण विवेक का व्यक्ति स्वयं के धन के संबध में पहल करता है एवं प्रत्येक कदम पर वित्तीय आदेशों एवं सख्त अर्थव्यवस्था लागू करेगा। लेखापरीक्षा ने अनौचित्य, अतिरिक्त एवं निरर्थक व्यय के कुछ मामले उजागर किया है जिनमें कुछ का वर्णन नीचे दिया जा रहा है:

पथ निर्माण विभाग

3.2.1 कार्य का अनियमित भुगतान एवं मूल्य निष्प्रभावन पर अधिक भुगतान

अयोग्य संवेदकों को ₹ 21.53 करोड़ के पथ कार्य प्रदान किए गए जिनके निरसित किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 7.46 करोड़ का अतिरिक्त दायित्व तथा उच्चतर दरों पर अलकतरे के मूल्य निष्प्रभावन दिए जाने से ₹ 25 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 सहपठित बिहार लोक कार्य विभाग (बि.लो.का.वि.) संहिता का अनुलग्नक (ग) में यह निर्धारित है कि ₹ 3.50 करोड़ से अधिक के कार्य लागत वाली सभी संविदाएँ पथ निर्माण विभाग के पंजीकृत 'श्रेणी–I' संवेदक को ही प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा बि.लो.का.वि. संहिता (अनुलग्नक अ) के निर्णय सं. 112 केवल उन्हीं संवेदकों को निविदाएँ जमा करने की अनुमति देता था जिनके पास स्वयं की न्यूनतम आवश्यक निर्धारित मशीनें[13] हों। कोई पदाधिकारी अगर निविदाओं के अनुमोदन के समय इन शर्तों की अनदेखी करता हो तो इसके लिए उन्हें ही जिम्मेवार ठहराया जाएगा। इसके साथ–साथ, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (एस.बी.डी.) की धारा 1 के उपबंध 4.5 ब के अनुसार निविदाताओं को नियोक्ता की समीक्षा हेतु तथा कार्य पर तैनात किए जाने वाले आवश्यक उपकरणों[14] की उपलब्धता की घोषणा एवं प्रदर्शन करना अपेक्षित है।

---

12 *मामला क: ₹ 55.68 लाख*
मामला ख: ₹ 2.33 करोड़
कुल: ₹ 2.89 करोड़

13 *हॉट मिक्स प्लांटस इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल के साथ, पेभर फिनिशर, फ्रन्ट इन्ड लोडर, टैन्डेम रॉलर्स, भाइभरेट्री रॉलर्स, टार ब्वाइलरस के साथ बिटुमिन स्प्रेयर तथा कम्प्रेशर मशीन।*

14 *कम्प्यूटराइजड हॉट मिक्स प्लांट इलेक्ट्रोनिक्स कन्ट्रोल के साथ, इलेक्ट्रोनिक सेन्सर के साथ पेभर फिनिशर, पानी की टंकी, बिटुमिन स्प्रेयर, टैनडेम रॉलर, 5 वर्ष की अधिकतम उम्र के साथ वजन बैचिंग सुविधा वाला कंक्रीट मिक्सर।*

(क) कार्यपालक अभियंता (का.अ.), शाहाबाद पथ निर्माण प्रमंडल, आरा ने ''आरा–सिन्हा पथ (0 से 16 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण'' का कार्य 18 माह यानि जून 2009 तक पूर्ण करने हेतु ₹ 9.17 करोड़ का एक एस.बी.डी. अनुबंध (दिसम्बर 2007) किया।

निविदा दस्तावेजों की लेखापरीक्षा समीक्षा (मार्च 2011) ने उजागर किया कि कार्य के आवंटन के समय में, संवेदक पथ निर्माण विभाग के साथ श्रेणी 'अ' संवेदक के रूप में पंजीकृत नहीं था। इस तथ्य को प्रमंडलीय लेखाकार द्वारा तकनीकी निविदाओं की तुलनात्मक विवरणी में भी उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, एस.बी.डी. की धारा 1 के उपबंध 4.5 (ब) के अनुसार संवेदक के पास आवश्यक मुख्य संयंत्र एवं उपकरण[15] नहीं थे। यहाँ तक कि संवेदक के पास उपलब्ध गर्म मिश्रण संयंत्र भी आवश्यक मापदण्ड 80–100 चक्कर प्रति घंटा के विरूद्ध मात्र 40–60 चक्कर प्रति घंटा के निम्न विनिर्देशन का था।

इन कमियों के बावजूद, विभागीय निविदा समिति (वि.नि.स.) ने बि.लो.का.वि. संहिता में सरकार के निर्णय सं. 112 का उल्लंघन करते हुए कथित संवेदक के पक्ष में संविदा आवंटन का निर्णय (अक्टूबर 2007) लिया। तदोपरांत, अभियंता–प्रमुख–सह–अपर आयुक्त, प.नि.वि. ने कार्य आवंटन (दिसम्बर 2007) के लगभग नौ माह बाद सितम्बर 2008 में संवेदक को प.नि.वि. का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2011) में यह भी उजागर किया कि संवेदक ने पथ का एक कि मी भी कालीकरण स्तर तक पूरा नहीं किया था, हाँलांकि उसे ₹ 2.67 करोड़ (29 प्रतिशत) का भुगतान (जून 2009) कर दिया गया था। का.अभि. ने ₹ 42.14 लाख की प्रतिभूति जमा राशि जब्त करने के बाद कार्य की धीमी प्रगति के कारण एकरारनामा को रद्द कर दिया। जनवरी 2010 में यह अवशेष कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम (बि.रा.पु.नि.नि.) को ₹ 9.58 करोड़ पर हस्तानान्तरित किया। दूसरी तरफ बि.रा.पु.नि.लि. ने एक अन्य अभिकरण (मे. महेश्वर क्षेत्रेश्वरी निर्माण प्रा. लि.) के साथ ₹ 10.35 करोड़ का नया एकरारनामा क्रियान्वित किया जिसे मार्च 2011 तक की निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर देना था। कार्य अभी भी प्रगति पर था एवं संवेदक को जुलाई 2011 तक ₹ 7.06 करोड़ (68 प्रतिशत) का भुगतान किया जा चुका था।

इस प्रकार एक अयोग्य संवेदक को संविदा के अनियमित आवंटन के परिणामस्वरूप ₹ 3.43[16] करोड़ की अतिरिक्त देयता/अतिरिक्त लागत हुई।

(ख) कार्यपालक अभियंता (का.अ.), शाहाबाद पथ निर्माण प्रमंडल, आरा ने आरा–एकौना–खैरा–सहार रोड के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु ₹ 13.36 करोड़ के लिए एक संवेदक के साथ 18 माह यानी अगस्त 2009 तक कार्य पूर्ण किये जाने हेतु एक एस.बी.डी. एकरारनामा किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2011) ने उजागर किया कि संवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये तकनीकी निविदा अभिलेख पूर्णतया रिक्त थे और इस तथ्य को अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा द्वारा तुलनात्मक विवरणी में उचित रूप से दर्ज किया गया था। हाँलांकि इस असफल निविदा अभिलेख मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार प्रभाग, स.नि.वि., बिहार, पटना को प्रस्तुत किया गया था, फिर भी डी.टी.सी. ने इस संवेदक को कार्य किये जाने की मंजूरी दे दी एवं का.अ., प.नि. प्रमंडल. आरा ने एक एस.बी.डी. अनुबंध एकरारित कर लिया। हाँलांकि यह एस.बी.डी. एकरारनामा बि.लो.का.वि. संहिता

---

15 यथा पूर्णतः *कम्प्यूटराइजड हॉट मिक्स प्लांट जिसकी क्षमता 80–100 टी.पी.एच. (चक्कर प्रति घंटा), टैन्डम रॉलर, मोटर ग्रेडर, डॉजर, फ्रन्ट इंड लोडर आदि।*

16 *अतिरिक्त देयता/अतिरिक्त लागत = (₹ 10.35 करोड़ – ₹ 9.17 करोड़) + ₹ 2.67 करोड़ – ₹ 42.14 लाख (जब्त प्रतिभूति) = ₹ 3.43 करोड़।*

एवं एस.बी.डी. की धारा 1 के उपबंध 4.5 (ब) (अ) के तहत अपेक्षित संवेदक के औजारों, उपकरणों एवं अन्य मशीनरी की पुष्टि के बिना ही किया गया था।

संविदा प्रदान किये जाने के 22 माह उपरांत भी संवेदक ने मात्र 44 प्रतिशत ही कार्य क्रियान्वित किया था एवं उसे ₹ 6.18 करोड़ का भुगतान किया गया था। कार्य की धीमी प्रगति के कारण, का.अ. ने ₹ 40.17 लाख जब्त करने के बाद एकरारनामा को रद्द (दिसम्बर 2011) कर दिया। शेष कार्य बि.रा.पु.नि.नि. को हस्तांतरित (मार्च 2010) कर दिया गया जिसने ₹ 10.62 करोड़ की लागत पर एक अन्य अभिकरण (राजकुमार सिंह राजा कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि.) को आवंटित कर दिया, जिससे सरकार को ₹ 4.03[17] करोड़ के अतिरिक्त दायित्व के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ा।

इसे इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2011), विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार ने कहा (जून 2011) कि निविदा प्राप्तकर्ता प्राधिकरण के लिए विहित मशीनों का भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य नहीं था तथा का.अ. ने निविदादाता द्वारा प्रदत्त सूचनाओं से संतुष्ट होने के बाद तकनीकी निविदा को मूल्यांकन हेतु अनुशंसित किया था। उन्होंने आगे कहा कि बि.लो.का.वि. संहिता में सरकार का आदेश सं. 112, विभाग के अभियंता–प्रमुख द्वारा जारी किया गया था एवं यह एस.बी.डी. के तहत कराए जाने वाले कार्यों के लिए लागू नहीं था। हाँलांकि, उन्होंने कार्य पूर्ण करने में हुए अतिरिक्त व्यय को संवेदक से वसूली किए जाने पर सहमति जताई।

विशेष सचिव का जबाव प्रासंगिक नहीं है क्योंकि पहले मामले (आरा–सिन्हा रोड) में, एक अपंजीकृत संवेदक को संविदा आवंटित किया जाना घोर अनियमित था। दूसरे मामले (आरा–एकौना सहार पथ– किमी 19 से 35 किमी) में भी यद्यपि बि.लो.का.वि. संहिता के प्रावधानों के अनुसार संवेदक के पास 'स्वयं का' संयत्र और उपकरण होना अनिवार्य था, संवेदक द्वारा रिक्त तकनीकी निविदा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद भी, कार्य को अनियमित रूप से प्रदान किया गया। अतः संवेदक को तकनीकी निविदा चरण में ही अयोग्य कर दिया जाना चाहिए था। इसके विपरीत, मुख्य अभियंता (मु.अ.) (दक्षिण) ने गंभीर त्रुटि की अनदेखी करते हुए संवेदक को अनियमित रूप से सफल (तकनीकी) घोषित किया एवं इसकी प्रदत्तता के लिए एवं डी.टी.सी. से भी अनुमोदन प्राप्त किया। इसके अलावा विशेष सचिव, प.नि.वि. का आदेश सं. 112 के बारे में दिया गया उत्तर भी तथ्यात्मक रूप से गलत था चूँकि यह निर्णय बि.लो.का.वि. संहिता का एक अभिन्न हिस्सा था इसलिए यह एस.बी.डी. के तहत कार्यों सहित सभी निविदा कार्यों पर अनिवार्य रूप से लागू था।

इस प्रकार अयोग्य संवेदकों को अनियमित रूप से कार्यावंटन किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 7.46[18] करोड़ का अतिरिक्त बोझ भारित हुआ।

(ग) स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (एस.बी.डी.) के उपबंध 10 सी.ए. तथा 10 सी.सी. के अनुसार यदि निविदा प्रस्तुत करने के बाद, सीमेन्ट, इस्पात, अलकतरा आदि कार्य में शामिल सामग्रियों का मूल्य कार्य निविदाओं की निर्धारित प्राप्ति (अवधि विस्तार सहित, यदि कोई हो) के अंतिम नियत तिथि की तत्कालीन कीमतों से बढ़ जाती है, तो अनुबंध की राशि को अनुरूपेण परिवर्तित किया जाएगा तथा संवेदक को कार्य में उपयोगित सामग्रियों के मूल्य वृद्धि की अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। अलकतरे की लागत में वृद्धि या कमी के लिए मूल्य समायोजन का भुगतान एस.बी.डी. अनुबंध में निर्धारित

---

17 *₹ 10.62 करोड़ – (₹ 12.36 करोड़ – ₹ 6.18 करोड़) – ₹ 40.17 लाख = ₹ 4.03 लाख।*

18 *₹ 3.43 करोड़ + ₹ 4.03 करोड़ = ₹ 7.46 करोड़।*

सूत्र[19] के अनुसार किया जाएगा। यह प्रावधान केवल उन समझौते में लागू किया जाएगा जो निर्धारित समय से परिचालित हो या जिसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा अवधि विस्तार की अनुमति दी गई हो।

- पथ निर्माण प्रमंडल, जहानाबाद के अभिलेखों के नमूना जाँच (जुलाई 2010) ने उजागर किया कि बभना–सकुराबाद रोड के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए ₹ 5.56 करोड़ की संविदा एक संवेदक को जून 2009 तक पूर्ण करने हेतु आवंटित (जून 2008) किया गया। प्रमंडल ने अलकतरे की मूल्य वृद्धि के लिए संविदा में निर्धारित सूत्र द्वारा मूल्य निष्प्रभावन का भुगतान किया। गणना की संवीक्षा से आगे यह भी पता चला कि B_0 जो कि निविदा के खुलने के 28 दिनों के पूर्व निकटतम केन्द्र पर अलकतरा का आधिकारिक खुदरा मूल्य था, का मान ₹ 29856.98 था, लेकिन इसे गलत रूप से ₹ 24964.12 प्रयुक्त किया गया। इसके अलावा गणना में R का मान यानी कार्य का कुल मान में नौ[20] प्रतिशत जोड़कर वर्धित करते हुए प्रयुक्त किया गया। परिणामस्वरूप संवेदक को अलकतरा के मूल्य निष्प्रभावन हेतु ₹ 20.11 लाख ***(परिशिष्ट 3.1)*** का अधिक भुगतान किया गया।

मामले सरकार को संदर्भित (मई 2011) किए गए। उत्तर में विशेष सचिव ने कहा (अक्टूबर 2011) कि संवेदक के 28वें चलंत लेखा–विपत्र से ₹ 17.49 लाख की वसूली कर ली गयी थी। उन्होंने आगे कहा कि सूत्र में प्रयुक्त R का मान कार्य का एकरारित मूल्य था।

विशेष सचिव का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एस.बी.डी. एकरारनामा में उल्लेखित मूल्य निष्प्रभावन को कार्य की लागत पर दिया जाना था न कि कार्य के एकरारित राशि पर। इस प्रकार कार्य के परिणाम विपत्र मान के बदले कार्य के एकरारित मूल्य की अनुमति अनियमित एवं अस्वीकार्य था। संवेदक से शेष ₹ 2.61 लाख की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

- पथ निर्माण प्रमंडल, किशनगंज के अभिलेखों के नमूना जाँच (फरवरी 2011) ने उजागर किया कि किशनगंज–तैयबपुर–ठाकुरगंज–गलगलिया (के.टी.टी.जी. भाग II) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य एक संवेदक को ₹ 10.85 करोड़ पर, एक वर्ष (4 फरवरी 2009) में पूर्ण करने हेतु आवंटित (5 फरवरी 2008) किया गया। कार्य पूर्ण कर दिया गया था एवं संवेदक को 12 चलंत विपत्रों के माध्यम से कुल ₹ 10.74 करोड़ का भुगतान किया गया। मूल्य निष्प्रभावन गणना के सूत्र की संवीक्षा में यह पाया गया कि B_1 का मान, जो कि अलकतरा का निकटतम केन्द्र पर विचाराधीन महीने के 15वें दिन का आधिकारिक खुदरा मूल्य था, को गलत ढंग से प्रयुक्त किया गया तथा मूल्य निष्प्रभावन हेतु ₹ 26.40 लाख के स्वीकार्य राशि के विरूद्ध ₹ 48.80 लाख का

---

19 $V_b = 0.85 \times P_b/100 \times R \times (B_1-B_0)/B_0$

V_b = अलकतरा दरों में अंतर होने के कारण संदर्भित माह के दौरान कार्य के लागत में वृद्धि या कमी

B_0 = बीड खुलने की तिथि से 28 दिन पूर्व आई ओ सी डिपो के नजदीकी केन्द्र पर अलकतरा का अधिकारिक खुदरा मूल्य

B_1 = संदर्भित माह के 15वें दिन को आई.ओ.सी. डिपो के नजदीकी केन्द्र पर अलकतरा का आधिकारिक खुदरा मूल्य

P_b = कार्य के अलकतरा अवयव की प्रतिशतता

R = कार्य का कुल मूल्य

20 *परिणाम–विपत्र से नौ प्रतिशत अधिक पर संवेदक को कार्य आवंटित किया गया था।*

भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.40 लाख ***(परिशिष्ट 3.2)*** का अधिक भुगतान हुआ।

विशेष सचिव, प .नि.वि. ने जवाब दिया (अक्टूबर 2011) कि आई.ओ.सी., से पटना से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार B_1 का मान प्रयुक्त किया गया था। हाँलांकि, लेखापरीक्षा को न तो कोई अभिलेखित साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न हीं संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध, कोई कार्रवाई ही की गयी।

एस.बी.डी. अनुबंधों के मूल्य निष्प्रभावन उपबंध के गलत प्रयुक्तता के परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹ 25.01[21] लाख का अधिक भुगतान किया गया।

3.2.2 निम्न विनिर्देशनों पर पथ कार्य का क्रियान्वयन

निम्न विनिर्देशनों पर पथ कार्यों के कार्यान्वयन से ₹ 2.79 करोड़ का अवमानक कार्य हुआ।

आई.आई.टी. रूड़की के अनुशंसाओं के आधार पर सचिव, पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), बिहार, पटना ने राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा.मा.) सं. 30 के पथ के गमनीय गुणवत्ता सुधार (आई.आर.क्यू.पी.) कार्य[22] के लिए ₹ 12.23 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन (फरवरी 2009) दिया। सड़क पर भारी यातायात भार को ध्यान में रखते हुए, पर्पटी की मोटाई के लिए तकनीकि विशिष्टिताओं में 115 मी.मी. के अलकतरा कार्य प्रावधनित था यथा 75 मी.मी. डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम (डी.बी.एम.) एवं 40 मि.मि. बिटुमिनस कंक्रीट (बी.सी) था। हाँलांकि जुलाई 2011 तक तकनीकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी।

राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिम प्रमंडल, पटना के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2010) में यह पाया गया कि कार्यों के प्रशासनिक अनुमोदन (प्रशा.अनु.) के बाद, मुख्य अभियंता, रा.रा.मा., बिहार, पटना ने का.अ. को परिणाम–विपत्र को तैयार किये जाने में बिना कोई कारण बताए पर्पटी की मोटाई को कम करने का निर्देश (फरवरी 2009) दिया जिसमें 75 मी.मी. डी.बी.एम. के बदले 50 मी.मी. बिटुमिनस मैकेडम (बी.एम.) एवं 40 मी.मी. बी. सी. के स्थान पर 25 मी.मी. सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (एस.डी.बी.सी.) का उपयोग करना था। परिमात्र विपत्र तदनुसार तैयार तथा अनुमोदित किए गए एवं निविदाओं को दो भागों में आमंत्रित (फरवरी 2009) किया गया यथा (क) 150 से 153 एवं 157 (600मी.) से 159 कि.मी. के कार्य के लिए तथा (ख) किमी 160 से 166 के लिए, जिनपर 50 मी.मी. बी.एम. एवं 25 मी.मी. एस.डी.बी.सी. कार्य किया जाना था। ₹ 3.73 करोड़ में एक अभिकरण को 160 से 166 कि.मी. का कार्य आवंटित (जून 2009) हुआ तथा पूर्ण (मार्च 2010) कर दिया गया था एवं ₹ 3.36 करोड़ का अंतिम भुगतान भी किया गया था।

150 से 153 एवं 157 (600मी.) से 159 किमी. तक के कार्य की पुनर्निविदा अमराहा कन्सट्रक्सन प्राईवेट लि. को ₹ 3.40 करोड़ में आवंटित की गयी। हाँलांकि, सचिव प. नि.वि. ने विभागीय मासिक समीक्षा बैठक के पथ पर यातायात की संख्या एवं प्रारंभिक नुकसान से बचने हेतु मुख्य अभियंता, रा.रा.मा. प्रभाग को प्रशा.स्वी. के अनुरूप ही कार्य के क्रियान्वयन किए जाने का निदेश (नवम्बर 2009) दिया। परिणामस्वरूप, यह निविदा भी रद्द (जनवरी 2010) कर दी गयी। इसके बाद, प्रशा.अनु. के आधार पर एक अभिकरण (मे. उमेश कुमार एवं कम्पनी) को ₹ 5.47 करोड़ में कार्य आवंटित किया

---

[21] *₹ 2.61 लाख + ₹ 22.40 लाख = ₹ 25.01 लाख।*

[22] *किमी 50 से 153, (600मी) से 166 में तथा 150 से 166 किमी के मध्य विभिन्न किमी में हार्ड सोल्डर ड्रेनेज एवं हयूम पाईप कल्वर्टों का निर्माण।*

गया। छठे लेखा विपत्र (जुलाई 2011) तक अभिकरण को ₹ 4.73 करोड़ का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उजागर हुआ कि समान पथ में 160 से 166 किमी में 50 एम.एम. बी.एम. एवं 25 एम.एम. एस.बी.डी.सी. का उपयोग करते हुए 75 मी.मी. मोटाई का पर्पटी कार्य क्रियान्वित किया गया जबकि 150 से 153 एवं 157 (600मी.) से 159 किमी में, 115 मी.मी. मोटी पर्पटी निर्मित की गयी जिसे 75 मी.मी. डी.बी.एम. तथा 40 मी.मी. बी. सी. द्वारा क्रियान्वित किया गया। इस पथ पर यातायात की सघनता के मद्देनजर सचिव, प.नि.वि. का यह निर्देशानुसार पूरे पथ में पर्पटी मोटाई 115 मी.मी. का बनाए रखा जाना अपेक्षित था ताकि शीघ्र टूटने से इसे बचाया जा सके। इस प्रकार, प्रशा.अनु. का विनिर्देशन एवं आई.आई.टी., रूड़की की सिफारिशों की उपेक्षा करते हुए मु.अभि. द्वारा पर्पटी की मोटाई का विनिर्देशन को कम करने की सिफारिश न केवल अविवेकपूर्ण, बल्कि रा.रा.मा. सं. 30 के किमी 160 से 166 का पथ, जिसकी लागत ₹ 2.79 करोड़ थी, कें आरंभिक ह्रास के जोखिम से भरा था ***(परिशिष्ट 3.3)***।

मामले सरकार को सूचित (अप्रैल 2011) किए गए थे। विशेष सचिव, प.नि.वि., बिहार, पटना ने कहा (मई 2011) कि रा.रा. पर राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि का मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्त्ती नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने व्यय के सीमा के अनुरूप विशिष्टियों को कम कर दिया था।

विशेष सचिव, प.नि.वि. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सचिव प.नि.वि. ने स्वयं ही प्रेषण किया था कि निम्न विशिष्टिताओं के साथ इस कार्य के कार्यान्वयन किए जाने से पथ को आंरभिक क्षति हो सकती थी एवं प्रशा.अनु. की मूल विशिष्टियों को बहाल करने का आदेश दिया। इसके अलावा, आई.आई.टी., रूड़की के विशेषज्ञ सिफारिशों, भारी यातायात के दबाव एवं प्रारंभिक ह्रास से पथ के बचाव को ध्यान में रखते हुए पथ के एक भाग में निम्न विनिर्देशनों के साथ कार्य के क्रियान्वयन का कोई औचित्य नहीं था। इस प्रकार, रा.रा.मा. सं. 30 के किमी 160 से 166 में निम्न विनिर्देशनों पर कार्य के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 2.79 करोड़ का अवमानक कार्य हुआ।

3.2.3 पथ कार्यों का अवमानक कार्यान्वयन

पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशनों का अनुपालन नहीं करने के कारण ₹ 1.22 करोड़ की लागत का अवमानक पथ कार्य क्रियान्वित हुआ।

राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत धरहरा–चाँदी पथ (0 किमी से 6.75 किमी) के सुधार के उद्देश्य से कार्यपालक अभियंता (का.अभि.), शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा ने मई 2008 तक कार्य पूर्ण करने हेतु एक अभिकरण के साथ ₹ 2.49[23] करोड़ की अनुमानित लागत पर एक एकरारनामा किया (मई 2007)। कार्यों को भारत सरकार के पथ, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) द्वारा निर्धारित विनिर्देशनों के अनुरूप कार्यान्वित किया जाना था। मोर्थ विनिर्देशनों के उपबंध 506.5 अनुसार संवेदक को अंतिम सतह के कार्य का कार्यान्वयन यानी सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (एस.डी.बी.सी.) को बिल्ट–अप स्प्रे ग्राउंटिग (बी.यू.एस.जी.) पर 48 घंटे की एक अधिकतम अवधि के भीतर निष्पादित करना था।

इसके अलावा, निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू.) उपबंध 17, जो कि एकरारनामा का एक हिस्सा था, के अनुसार संवेदक को कार्य पूर्ण होने के तीन वर्ष के बाद भी कार्य

---

[23] *पथ कार्यः ₹ 140.09 लाख; आर.सी.सी. कल्वर्टः ₹ 3.93 लाख; आर.सी.सी. बॉक्स क्ल्वर्टः ₹ 11.51 लाख एवं एच.एल.ब्रिजः रू 93.79 लाख।*

का संधारण एवं उनमें आए दोषों को सुधारना था। कार्य, अवधि विस्तार की ग्राहयता के बाद, मार्च 2010 में पूर्ण कर लिया गया एवं प्रमंडल ने अंतिम विपत्र (मार्च 2010) के रूप में ₹ 1.87 करोड़ का भुगतान किया विरूद्ध पथ कार्यों पर ₹ 1.22 करोड़ व्यय किए गए थे।

कार्य निष्पादन अभिलेखों के लेखापरीक्षा (मार्च 2011) से यह ज्ञात हुआ कि जबकि प्रथम एवं द्वितीय किमी में 5154.55 मी^{2} बी.यू.एस.जी. मद का क्रियान्वयन जून 2007 में किया गया था, इसपर एस.डी.बी.सी. द्वारा आच्छादन दिसम्बर 2007 में किया गया था। इसके अलावा तीसरे से सातवें किमी में 11864.50 मी^{2} का बी.यू.एस.जी. का क्रियान्वयन अप्रैल 2008 में ही किया गया, इस पर बी.डी.सी. द्वारा आच्छादन दिसम्बर 2008 में किया गया था। उपरोक्त तथ्यों ने यह उजागर किया कि मोर्थ विनिर्देशनों के उल्लंघन में बी.यू.एस.जी. पर अंतिम बिटुमिनस सतह को आच्छादन पाँच से आठ माह का विलम्ब हुआ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से आगे पता चला कि संवेदक ने 83.13 मी. टन अलकतरा की वास्तविक आवश्यकता के विरूद्ध 56.96 मी. टन अलकतरा का उपभोग किया था जिससे 26.17 मी.टन अलकतरा का कम उपयोग हुआ तथा परिणामस्वरूप, अवमानक कार्य का क्रियान्वयन हुआ। मोर्थ विनिर्देशनों का अनुपालन नहीं होने के कारण ₹ 1.22 करोड़ के पथ कार्य का अवमानक क्रियान्वयन हुआ एवं इसमें समय से पूर्व ही क्षति हुयी जैसा कि कार्यपालक अभियंता (का.अभि.) के नवम्बर 2008 तथा मार्च 2010 के प्रतिवेदन में उजागर किया गया था। का.अभि. की अधियाचना पर एक तीसरे पक्ष से गुणवत्ता जाँच, जिसे एम.एस.वी. इण्टरनेशनल, इंक (अक्टूबर 2008) द्वारा संचालित किया गया था, ने भी पथ कार्य में कम अलकतरा के खपत की पुष्टि की। इसके अलावा, कार्य पूर्ण (मार्च 2010) होने के मात्र पाँच माह बाद, अवर–प्रमण्डल पदाधिकारी, कोईलवर ने कनीय अभियंता कोईलवर को मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु एक नया प्राक्कलन तैयार करने को कहा, जबकि इसकी दोष–दायित्व अवधि कि वैधता मार्च 2013 तक थी। मात्र पाँच माह के बाद ही पथ की मरम्मती करवाना पूर्व के कराए गए कार्यों का अवमानक क्रियान्वयन को इंगित करता था।

विशेष सचिव, प.नि.वि. ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2011) कि एस.डी.बी.सी. का कार्य मई से अक्टूबर के बीच भारी बारिश के कारण नहीं किया गया तथा 48 घंटे के भीतर बी.यू.एस.जी. पर एस.डी.बी.सी. कार्य के क्रियान्वयन किए जाने में व्यावहारिक समस्याओं को निर्दिष्ट किया। उन्होंने आगे कहा कि संवेदक ने एम.एस.वी. इन्टरनेशनल द्वारा बताए गए विनिर्देशनों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्दिष्ट विस्तारों पर कार्यों को पुनर्कार्यान्वित किया। उन्होंने आगे कहा कि गीली रेत से भरे अति–भारित ट्रकों के परिचालन के कारण पथ–पर्पटी क्षतिग्रस्त हुयी। परिणामस्वरूप, प्रतिकुल परिस्थितियों में संवेदक पर दोष–दायित्व का लागू किया जाना संभव नहीं था।

विशेष सचिव, का उत्तर, कि ''अति–भारित ट्रकों के परिचालन'' से पथ क्षतिग्रस्त हुआ, निम्न कारणों से स्वीकार्य नहीं था (i) यह पथ के अवमानक क्रियान्वयन को आवृत करने का प्रयास था चूँकि इस पथ पर अति–भारित रेत से भरे ट्रकों का परिचालन कोइलवर घाट के शुरू होने तथा रेत के खनन के बाद से ही आरंभ था। (ii) मोर्थ विनिर्देशनों के अनुसार बी.यू.एस.जी. के क्रियान्वयन के 48 घंटे की अधिकतम अवधि के अंदर एस.डी.बी.सी. कार्य का क्रियान्वयन आवश्यक था। लगातार बारिश को बी.यू.एस. जी. के आच्छादन में विलंब का कारण बताना भी स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विलंब में पाँच से आठ माह का अन्तराल था एवं प्रमंडल द्वारा पर्याप्त प्रत्याशित कार्रवाई की जा सकती थी। (iii) पक्ष के गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन स्वयं में ही अवमानक कार्य के कार्यान्वयन की स्वीकारोक्ति थी, हाँलांकि, सीमित विस्तारों में इसकी मरम्मती की जा

चुकी थी। (iv) इसके अलावा विभाग द्वारा अपने जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत यथा मापी पुस्त प्रस्तुत नहीं किया गया कि एम.एस.वी. इण्टरनेशनल द्वारा आपत्ति किए गए विस्तारों पर समुचित सुधार कर लिया गया था।

इस प्रकार, पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशनों का अनुपालन नहीं करने के कारण ₹ 1.22 करोड़ का अवमानक पथ कार्य क्रियान्वित किया गया।

3.2.4 संविदा का अनियमित आवंटन एवं पथ कार्य पर निष्फल व्यय

अयोग्य संवेदक को संविदा आवंटित करने के कारण ₹ 1.42 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), राष्ट्रीय उच्च पथ (रा.उ.प.) प्रमंडल संख्या 2, मुजफ्फरपुर द्वारा रा.उ.प. 77 के अधीन हाजीपुर–मुजफ्फरपुर पथ के परगमनीय गुणवत्ता में सुधार के लिए एकल निविदा के आधार पर एक अनुबंध किया गया (मार्च 2009)। संविदा का मूल्य ₹ 6.89 करोड़ तथा कार्य समाप्ति की अवधि आठ महीने (अक्टूबर 2009) की थी। का.अ., रा.उ.प. 2 , मुजफ्फरपुर के अभिलेखों की संवीक्षा से संविदा प्रदान करने में की गई निम्नलिखित अनियमितताएँ उजागर हुई।

- निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू.) के अनुसार निविदादाता के पास अपेक्षित विनिर्देशन का पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हॉट मिक्स प्लांट एवं गुणवत्ता जाँच प्रयोगशाला होना आवश्यक था। निविदादाता को पिछले तीन वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाणपत्र, उन्हें उपलब्ध बैंक साख सुविधा का विवरण, बिक्री कर सफाया प्रमाणपत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र भी जमा करना था। यद्यपि निविदादाता इन अहर्त्ताओं को पूरी नहीं करता था, मुख्य अभियंता, रा.उ.प. प्रभाग, पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), बिहार, पटना ने अनियमित रूप से संवेदक के तकनीकी निविदा को 'सफल' घोषित कर दिया। इसके बाद विभागीय निविदा समिति ने उस संवेदक के पक्ष में संविदा को अनुमोदित कर दिया।
- संवेदक के द्वारा समर्पित ₹ 16.50 लाख की परफौसमेंस बैंक गारंटी अगस्त 2009, यानि अनुबंधित अवधि (अक्टूबर 2009) से दो माह कम, तक ही वैध थी। हाँलांकि का.अ. ने इसे पूर्णता अवधि तक विस्तारित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इस चूक से संवेदक को अदेय लाभ पहुँचा।
- चूँकि संवेदक ने सितंबर 2009 तक मात्र 10.60 प्रतिशत कार्य ही पूरा किया था, का.अ. ने कार्य को निरसित कर दिया एवं संवेदक के आरक्षित जमा को जब्त कर लेने का आदेश दिया। तथापि अभियंता प्रमुख (अ.प्र.), प.नि.व., पटना ने दिसबंर 2009 में इस निरसित आदेश को स्थगित कर दिया एवं संवेदक द्वारा ''प्रोफाइल करेक्टिभ कोर्स'' एवं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हिस्से में अर्द्ध घना अलकतरा ठोस (एस.डी.बी.सी.) कार्य पूरा करने तक संविदा को बहाल करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त अ.प्र. ने कार्य शुरू होने के आठ महीने बाद (जनवरी 2010) परिचालन अग्रिम के रूप में ₹ 27 लाख एवं सुरक्षित अग्रिम के रूप में अलकतरा चालान के विरूद्ध ₹ 13.41 लाख को स्वीकृत किया।अ .प्र. की कार्रवाई एस.बी.डी. के खंड 10 ब (ii) का उल्लंघन थी जिसके अनुसार परिचालन अग्रिम प्रदान करने की अवधि कार्यादेश से एक महीने तक ही सीमित थी। लेकिन मूल रूप से स्वीकृति देने हेतु प्राधिकृत विभागीय निविदा समिति का, अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।
- इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के बावजूद संवेदक ने कार्य के क्रियान्वयन में कोई प्रगति नहीं दिखाई तब का.अ. द्वारा संवेदक को कुल ₹ 1.42 करोड़ के

भुगतान के बाद संविदा को अंतिम रूप से बंद कर दिया गया (मई 2010)। चूँकि बुरी तरह क्षतिग्रस्त निर्धारित हिस्से, में कोई एस.डी.बी.सी. कार्य नहीं किया गया था। इस प्रकार ''सीमित कार्य'' भी संवेदक द्वारा पूरा नहीं किया गया।

- क्रियान्वित कार्य भी निष्फल साबित हुआ क्योंकि बिटुमिनस मैकाडम (बी.एम.) एवं एस.डी.बी.सी. कार्य के साथ कालीकरण स्तर तक का कार्य पूरा नहीं होने के कारण वाहन चलने योग्य एक किलोमीटर पथ भी पूरा नहीं हो सका था। ₹ 1.42 करोड़ व्यय होने के बावजूद परगमनीय गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ।

अतः अयोग्य एकल निविदादाता को कार्य प्रदान करना, निरसन आदेश की बहाली, निरसन के बाद परिचालन अग्रिम देना एवं वसूली लंबित रहने के बावजूद बैंक गारंटी को विमुक्त किया जाना अनियमित था।

यह प्रतिवेदित किए जाने पर (जून 2011) विशेष सचिव, प.नि.वि., बिहार सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2011) कि निविदादाता ने तकनीकी बोली की आवश्यकतानुसार हॉट मिक्स प्लांट, पेभर फीनीसर, बिटुमेन ब्यालर इत्यादि के स्वामित्व के कागजात समर्पित किया था। इसके आधार पर मु.अ., रा.उ.प., बिहार के नेतृत्व वाली तकनीकी बोली मूल्यांकन समिति ने तकनीकी बोली को सफल घोषित किया। तदोपरांत वि.नि.स. ने निविदादाता की वित्तीय बोली को अनुमोदित किया एवं तदनुसार कार्य प्रदान किया गया। उन्होंने पुनः कहा कि चूँकि पथ को चार–लेन बनाने हेतु भारत के राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार को सौंप देना था, जनसमूह की तकलीफ को कम करने हेतु कार्य हित में निरसित किये अनुबंध को बहाल किया गया। संवेदक से प्रचालन अग्रिम के ₹ 27 लाख की वसूली भी कर ली गई है। अतः अब तक किया गया व्यय फलदायक था।

विशेष सचिव का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संवेदक के पास हॉट मिक्स प्लांट एवं अन्य उपकरणों का स्वामित्व नहीं था और उसे 'किराए' पर लेना था। यह तथ्य तकनीकी बोली के तुलनात्मक विवरणी में भी दर्ज था। का.अ. द्वारा तैयार, हस्ताक्षरित एवं अनुशंसित जाँच सूची के प्लांट एवं मशीनरी कॉलम भी रिक्त था। इसके बावजूद का.अ. ने लोकहित में उच्च अधिकारियों को संवेदक के पक्ष में अनुशंसित किया। अतः कार्य को 'जानबूझकर' अयोग्य संवेदक को प्रदान किया गया। विभागीय पदाधिकारियों की उपरोक्त कार्रवाई लोकहित के बदले संवेदक से मिलीभगत का इशारा करती थी, परिणामस्वरूप अधूरे कार्य पर ₹ 1.42 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग

3.2.5 दायित्व एवं लागत राशि की अवसूली के परिणामस्वरूप अतिरिक्त दायित्व का सृजन

दायित्व एवं लागत उपबंध लागू करने के उपरांत वास्तविक वसूली के बिना दो संविदाओं को रद्द किए जाने से ₹ 9.43 करोड़ के अतिरिक्त दायित्व के सृजन के अलावा 27 अनुबंधों के अंतर्गत ₹ 8.38 करोड़ की जब्त प्रतिभूति जमा राशियों को जमा नहीं किया गया था।

एफ–2 अनुबंध का उपबंध 3 कार्यपालक अभियंता (का.अभि.) को संवेदक की प्रतिभूति जमा (प्रति.ज.) राशि को जब्त करने अथवा श्रम एवं सामग्री लगाते हुए शेष कार्य को पूरा करने एवं लागत राशि को इस प्रकार विकलित करने मानो वह संवेदक द्वारा पूर्ण किया गया हो अथवा संवेदक की लागत पर अपूर्ण कार्य हेतु नई निविदा निष्पादित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह उपबंध विशेष रूप से उल्लेखित करता है कि

का.अभि. को उपरोक्त उपायों में से किसी को भी अपनाना चाहिए ताकि सरकार के हित की रक्षा सर्वोत्तम संभावित तरीके से की जा सके। समरूपेण, एस.बी.डी. का उपबंध 3 यह विहित करता है कि उक्त उपबंध के तहत किसी अनुबंध के निरसन के उपरांत पेशगी जमा राशि, प्रति.ज. एवं निष्पादन जमानत राशियाँ जब्त कर ली जाएँगी।

इसके अलावा, एस.बी.डी. का उपबंध 14 यह विहित करता है कि किसी निविदा के रद्द/निरस्त किए जाने की दशा में अवशेष कार्य संवेदक के दायित्व एवं लागत पर पूरे किए जाएँगें। कार्यों की पूर्णता में सरकार द्वारा किया गया अथवा किया जाने वाला अतिरिक्त व्यय अथवा सरकार द्वारा भुगतीत अतिरिक्त हानि या क्षति की वसूली, संविदा के प्रावधानों के अनुसार संवेदक के किसी भी प्रकार की देय राशियों अथवा स्वयं संवेदक से की जाएगी।

अप्रैल से जुलाई 2011 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा ने पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग में संविदाओं के निरसन के मामलों की संवीक्षा की। वर्ष 2008–11 के दौरान ₹ 187.90 करोड़ मूल्य के कुल 33 निरसित संविदाओं का विश्लेषण किया गया जिसने निम्नलिखित कमियों को उजागर कियाः

3.2.5.1 अर्थदण्ड का अनारोपण

दो[24] प्रमंडलों द्वारा ₹ 5.47 करोड़ मूल्य की दो संविदाएँ ₹ 1.87 करोड़ के कार्यों के निष्पादनोपरांत कार्यों की धीमी एवं विलंबित प्रगति के कारण रद्द कर दी गयी। इन प्रमंडलों के का.अभि. ने एफ–2 अनुबंध के उपबंध 3 का उल्लंघन करते हुए न तो अनुबंध का 'दायित्व एवं लागत' उपबंध लागू किया और न ही उन्होंने उनके पास उपलब्ध प्रति. जमा का रू 9.36 लाख जब्त ही किया ***(परिशिष्ट 3.4 अ)***।

3.2.5.2 जब्त राशि को जमा नहीं करना

₹ 143.23 करोड़ मूल्य की 27 संविदाओं में, जो 'दायित्व एवं लागत' उपबंध आरोपित कर रद्द की गई थी, अभि. प्रमुखों/का. अभियंताओं को प्रति.ज. राशि जब्त कर कोषाकार में जमा करना था। हाँलांकि अभि. प्रमुखों/का.अभियंताओं ने ₹ 8.38 करोड़ के प्रति. जमा राशियों के जब्ती का सिर्फ आदेश जारी किया परंतु जून 2011 तक इन जब्त राशियों को काषोगार में जमा नहीं किया। अभि. प्रमुखों/का. अभियतंओं के इस कार्रवाई से ₹ 8.38 करोड़ की प्राप्तियों का अनियमित लेखांकन हुआ ***(परिशिष्ट 3.4 ब)***।

जवाब में का.अभि., प .नि.वि., शेखपुरा ने कहा (दिसम्बर 2011) कि चूँकि मामला न्यायालय के विचाराधीन था, प्रति.ज. को जब्त कर कोषागार में जमा नहीं किया जा सका।

3.2.5.3 दायित्व की अवसूली

दो[25] निरसित संविदाओं में, ₹ 7.92 करोड़ के अवशेष कार्यों के विरूद्ध, ₹ 17.34 करोड़ की संविदाएँ अनुबंधित की गयी। इन दोनों मामलों में का.अभियंताओं ने ₹ 9.42 करोड़ के वास्तविक अतिरिक्त व्यय के विरूद्ध मात्र ₹ 2.88 करोड़ के दायित्व का निर्धारण किया। इसके विरूद्ध, ₹ 98.79 लाख के प्रति. जमा राशि जब्त की गयी। का.

---

[24] *प.नि.प्र. शेखपुरा (2एफ–2/07–08) एवं प.नि.प्र. सुपौल (65एफ–2/08–09)।*

[25] *प.नि.प्र. खगड़िया (01 एस.बी.डी./07–08) एवं प.नि.प्र. बेगुसराय (01 एस.बी.डी./07–08)।*

अभियंताओं द्वारा संवेदकों से ₹ 1.89 करोड़ के शेष निर्धारित दायित्वों की वसूली जून 2011 तक नहीं की गयी थी ***(परिशिष्ट 3.4 स)***।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 2011), उनका जवाब अप्राप्त था (नवंबर 2011)।

जल संसाधन विभाग

3.2.6 निविदा के अनियमित निरस्तीकरण के कारण अतिरिक्त भुगतान

ईंट सोलिंग निविदा के अनियमित निरस्तीकरण के कारण ₹ 2.69 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

बिहार सरकार ने संकल्प सं. 3451(एस) दिनांक 12 मार्च 2008 द्वारा सभी कार्य विभागों को अधिसूचित किया कि दो करोड़ से अधिक लागत की निविदाएँ स्टैंडर्ड बिडिंग डाक्युमेंट (एस.बी.डी.) प्रपत्र में संपादित की जाएँगी।

मुख्य अभियंता (मु.अभि.) जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) वाल्मीकिनगर के अभिलेखों के नमूना जाँच (फरवरी 2011) एवं कार्यपालक अभियंता (का.अभि.), चंपारण प्रमंडल, मोतिहारी के कार्यालय से संग्रहित (अप्रैल 2011) तथ्यों ने उजागर किया कि का.अभि. ने चंपारण तटबंध के 20 मील 41 चेन से 83 मील तक के ईंट सोलिंग हेतु चार ग्रुपों में निविदा आमंत्रित (अप्रैल 2008) किया। निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू.) के अनुसार प्रतिभागी बीडरों को किसी राज्य सरकार के कार्य विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए था अथवा समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव होना चाहिए था। नि.आ.सू. ने यह भी उल्लेख किया था कि अनुबंध को बिहार लोक कार्य विभाग प्रपत्र सं. बि.का.वि. एफ–2 में निष्पादित किया जाना था। चूँकि कार्य की प्राक्कलित राशि ₹ 14.77 करोड़ थी तथा आवश्यकतानुसार, निविदा एस.बी.डी. प्रपत्र पर निष्पादित किए जाने थे, विभागीय निविदा समिति (वि.नि.स.) ने निविदाओं को निरस्त (जुलाई 2008) कर दिया।

इसके बाद, का.अभि. द्वारा समान राशि के लिए चार ग्रुपों में निविदाएँ (नि.आ.सू./02–08–09) पुनः आमंत्रित (जुलाई 2008) की गयी। हाँलांकि वि.नि.स. ने निविदा निरस्त (नवंबर 2008) कर दिया, इस बार इस आधार पर कि बीडरों को कार्यानुभव प्राप्त नहीं था। सामान कार्य को 13 ग्रुपों में खंडित करते हुए निविदाएँ (नि.आ.सू./04–08–09) पुनः आमंत्रित (दिसंबर 2008) की गयी। चूँकि दर–अनुसूची (दर अनु.) दिसंबर 2008 में पुनरीक्षित कर दी गयी थी, अतः निविदाओं की कुल राशि पुनरीक्षित होकर ₹ 16.54 करोड़ हो गयी थी। बीडों की प्राप्तियों के आधार पर कार्यों को ₹ 17.67 करोड़ की कुल निविदित राशि पर नौ संवेदकों को आवंटित किया गया।

द्वितीय एवं तृतीय नि.आ.सू. की अनुक्रिया में प्राप्त बीडों के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने उजागर किया कि सभी चार ग्रुपों के प्रतिभागी संवेदक कार्य विभागों के तहत पंजीकृत प्रथम श्रेणी के संवेदक थे जो कार्यानुभव की अर्हता को पूरा करते थे। बीडों की तकनीकि समीक्षा के दौरान मुख्य अभियंता स्तर तक कहीं भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी। फलतः द्वितीय निविदा के दौरान प्राप्त बीडों का वि.नि.स. द्वारा कार्यानुभव अर्हता पूरा नहीं किए जाने के आधार पर निरस्त कर दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं था। क्योंकि तृतीय निविदा में वि.नि.स. द्वारा कार्य का वृहत भाग (13 ग्रुपों में से आठ) पूर्व में अयोग्य घोषित संवेदकों को ही प्रदान किया गया ***(परिशिष्ट 3.5)***।

यह इंकित किए जाने पर मु.अभि., ज.सं.वि. ने जवाब दिया (फरवरी 2011) कि वि.नि.स. ने निविदा शर्तों को पूर्ण नहीं किए जाने के आधार पर निविदाओं को निरस्त किया था। जवाब मान्य नहीं था क्योंकि द्वितीय निविदा में प्राप्त बीडों को वि.नि.स. द्वारा कार्यानुभव की शर्त को पूरा नहीं किए जाने के कारण निरस्त किया गया था। हाँलांकि यह निरस्तीकरण सही नहीं था क्योंकि प्राप्त बीडों को मु.अभि. द्वारा तकनीकि रूप से योग्य करार दिया गया था तथा बीडरों को आवश्यक कार्यानुभव प्राप्त था। परिणामतः वि.नि. स. द्वारा तकनीकि आधार पर बीडों को निरस्तीकरण अनियमित था। इसके अलावा, तृतीय निविदा में 13 में से आठ ग्रुपों के कार्य उन्हीं तकनीकि रूप से अयोग्य घोषित चार संवेदकों को सौंपे गए। कार्यों के लिए ₹ 17.46 करोड़ का कुल भुगतान (मार्च 2010) किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.77 करोड़ के मूल आकलन से ₹ 2.69[26] करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2011), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवंबर 2011)।

स्वास्थ्य विभाग

3.2.7 उच्चतर दर पर चिकित्सीय उपकरणों के क्रय से अतिरिक्त व्यय

चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पतालों के प्राचार्य/अधीक्षकों द्वारा क्रय–नियमों का उल्लंघन किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.67 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली, 2005 (नियमावली) का नियम 131 (जे) के अनुसार यह आवश्यक है कि सभी किए गए क्रए पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी एवं निष्पक्ष हो जिससे कि धन का सर्वोत्तम मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। जटिल एवं तकनीकी प्रकृति के उच्च दरों के संयत्रों एवं मशीनों का क्रय किए जाने हेतु दो भागों में बीडों को प्राप्त किया जाना था, यथा (अ) तकनीकी बीड, जिसमें वाणिज्यिक शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ तकनीकी विवरण शामिल हो (ब) वित्तीय बीड जिसमें तकनीकी बीड में उल्लेखित मदों का मूल्य दर्शाया गया हो। किसी सक्षम समिति प्राधिकार द्वारा मूल्याकंन हेतु पहले तकनीकी बीड को खोला जाना था। तदोपरांत संविदा को प्रदान किए जाने के पूर्व वित्तीय मूल्यांकन एवं श्रेणीबद्ध करने हेतु तकनीकी रूप से योग्य घोषित बीडरों के वित्तीय बीडों को खोला जाना था। इसके अलावा नियमावली के नियम 131आर(xiv) साधारणतया न्यूनतम बीडर को संविदा प्रदान किया जाना निर्दिष्ट करता था।

तीन[27] इकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई 2010 एवं मार्च 2011) ने उजागर किया कि 27 चिकित्सकीय उपकरणों एवं मशीनों की प्राप्ति के लिए द्वि–भागीय निविदाएँ आमंत्रित[28] की गयी थीं। महाविद्यालय एवं अस्पतालों के क्रय–समितियों/तकनीकी समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर प्राचार्य/अधीक्षकों ने न्यूनतम से इतर अन्य बीडरों को संविदाएँ प्रदान किया। संविदाओं की प्रदत्तता को इस आधार पर औचित्यपूर्ण करार करने का प्रयास किया गया कि 'खास ब्रांड वृहत रूप से अधिष्ठापित थे एवं उनको दृढ़तापूर्वक कार्यरत रहने तथा संतोषपूर्ण परिणाम देने का प्रतिवेदन प्राप्त था', ''मरीजों एवं शोध कार्यों के लिए अत्यंत लाभदायक थे'' तथा ''अन्य

---

[26] *₹ 17.46 करोड़ (अंतिम भुगतान) – ₹ 14.77 करोड़ (मूल परिमाण विपत्र राशि)।*

[27] *प्राचर्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय (द.चि.महा.), दरभंगा; दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (द.चि.महा.अस्प.) दरभंगा एवं अधीक्षक जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय (ज.ने.चि.महा.). भागलपुर।*

[28] *अप्रैल एवं अक्टूबर 2007, मई 2008 एवं मई एवं जून 2009।*

चिकित्सकीय महाविद्यालयों में अधिष्ठापित एवं संतोषप्रद रूप से कार्यरत् थे तथा इनकी उच्च गुणवत्ता थी''।

₹ 2.38 करोड़ के न्यूनतम तकनीकी रूप से स्वीकृत प्रस्तावों की अनदेखी कर ₹ 5.05 करोड़ की लागत पर उक्त मशीनों के क्रय किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.67 करोड़ का अनौचित्यपूर्ण अतिरिक्त व्यय हुआ ***(परिशिष्ट 3.6)***।

यह इंगित किये जाने पर अधीक्षक, द.चि.महा.अस्प. ने बताया (मई 2010) कि मशीनों के विनिर्देशनों एवं गुणवत्ता के आधार पर अधिक दरों पर क्रय किए गए। प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सकीय महाविद्यालय, ने बताया (जनवरी 2011) कि अधिक दरों पर किए गए क्रय उन क्षेत्रों के विशेषज्ञ के रूप में संबंधित विभागाध्यक्षों की अनुशंसाओं पर क्रय समिति द्वारा अनुमोदित थे। अधीक्षक, ज.न.चि.महा., भागलपुर ने बताया (मार्च 2011) कि मशीनें, जो खतरनाक थीं, पर्याप्त सावधानी के साथ खरीदी गयी थी।

उपरोक्त जवाब स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि इस प्रकार के क्रयों में द्वि–भागीय बीड प्रक्रिया का, जिसमें सभी तकनीकी रूप से योग्य घोषित बीडरों को समान दर्जा प्रदान किया जाता था और संविदा न्यूनतम बीडर को प्रदान किया जाता था, उल्लंघन किया गया था। हाँलांकि बीडों के तुलनात्मक विवरणी में सामग्रियों के विनिर्देशन न्यूनतम बीडर के ही समरूप थे, न्यूनतम बीडरों को संविदा नहीं प्रदान किए जाने एवं चि.महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा द.चि.महा.अस्प. के अधीक्षक द्वारा क्रय नियमों के उल्लंघन किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.67 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2011), उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवंबर 2011)।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

3.2.8 अनियमित स्वीकृति एवं निरर्थक व्यय

ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शिकाओं के उल्लंघन में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने एक अनुपयुक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 50.35 करोड़ स्वीकृत किया। इस योजना पर अब तक किए गए ₹ 19.76 करोड़ का व्यय भी निष्क्रिय साबित हुआ।

रूफ–टॉप हार्वेस्टिंग (रू.टॉ.हार्वे.), भारत सरकार (भा.स.) के ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रा.वि.मं.) के त्वरीत ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (त्व.ग्रा.ज.का.) के दीर्घकालीन अवयवों के तहत एक जल संरक्षण कार्यक्रम था। ग्रा.वि.मं. की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार रू.टॉ. हार्वे. कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त था जहाँ वर्ष के ज्यादातर हिस्से में अत्यधिक एवं तीव्र वृष्टि होती थी जैसे हिमालय का क्षेत्र, उत्तर–पूर्वी राज्य, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप तथा केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी भाग आदि। ग्रा.वि.मं. की अनुशंसाओं के अनुसार बिहार राज्य को अल्पाद्र सतलुज–गंगा क्षेत्र में शामिल किया गया था जिसके लिए अनुशंसित 'वाटर होर्वेस्टिंग' उपाय–तलाब, चेक–डैम, गल्ली प्लगिंग, कंटूर बंडिंग था, न कि रू.टॉ.हार्वे.। यह कार्यक्रम वैसे क्षेत्रों के लिए, जहाँ भूमिगत जलापूर्ती अपर्याप्त थी तथा जहाँ सतही जलाश्रोत या तो अनुपलब्ध अथवा नगण्य थे, आदर्श समाधान था। ग्रा.वि.मं. की मार्गदर्शिकानुसार क्रियान्वयी विभागों द्वारा किसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अनुमोदन प्राप्त होने के पूर्व तकनीकी उपयुक्तता विश्लेषण किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (लो.स्वा.अभि.वि.), बिहार सरकार ने ग्रा.वि.मं. की मार्गदर्शिका के उल्लंघन में 23[29] जिलों में ₹ 50.35 करोड़ की कुल लागत पर 3215 रू.टॉ.हार्वे. संरचानाओं की स्वीकृति दिया। सरकार द्वारा ये स्वीकृतियाँ तकनीकी–उपयुक्तता विश्लेषण कराए बैगेर दी गयी। इस लागत को वर्ष 2008–09 तक भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य 75:25 के अनुपात में एवं तदोपरांत भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वहन किया जाना था। मार्च 2011 तक 1070 पूर्ण एवं 2145 अपूर्ण संरचनाओं पर ₹ 19.76 करोड़ की राशि व्यय की गयी थी।

प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने अपने जवाब में बताया (दिसंबर 2011) कि वर्ष 1988 में आरंभ किए गए राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (रा.गाँ.रा.पे.ज.मि.) के समय से ही 'रेन वाटर हार्वेस्टिंग (रे.वा.हा.)' संरचना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (रा.ग्रा.पे.ज.का.) (पूर्व में त्व.ग्रा.ज.का.) का अभिन्न अंग रहा था, जिसे समस्त देश में क्रियान्वयन हेतु पेय जल एवं स्वचछता मंत्रालय द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा था तथा वर्तमान में, रा.ग्रा.पे.ज.का. दीर्घकालीन अवयव के तहत सभी क्षेत्रों में रे.वा.हा. अपनाए जाने हेतु 100 प्रतिशत सहायतानुदान प्रदान कर सभी राज्यों का प्रोत्साहित कर रहा था। उन्होंने आगे कहा कि सभी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को समस्त अकार्यशील संरचनाओं को एक माह के अंदर कार्यशील बनाते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था।

प्रधान सचिव का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा टिप्पणी मुख्यतः अनुपयुक्त रू.टॉ.हार्वे. कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर, न कि रे.वा.हार्वे. उपायों पर, केंद्रित है। एस.एल.सी.सी. द्वारा भी रू.टॉ.हा. कार्यक्रम को स्वीकृत किया जाना भी स्वयं में अनियमित एवं ग्रा.वि.मं. के दिशानिर्देशों के विपरित था जिसने रू.टॉ.हा. संरचनाओं को उन्हीं निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए अनुशंसित किया था जहाँ पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती थी।

इस प्रकार राज्य में लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा अनुपयुक्त रू.टॉ.हार्वे. योजना का क्रियान्वयन किया जाना अनियमित था तथा पूर्ण/अपूर्ण संरचनाओं पर किया गया ₹ 19.76 करोड़ का व्यय अनियमित था।

3.3 अनियमित/परिहार्य/असमायोजित व्यय

किसी व्यय को अनियमित माना जाता है अगर उसके व्यय किए जाने में किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों एवं मानकों से, जानबूझकर अथवा अन्य तरीके से, विचलन किया गया हो चूँकि यह कार्यपालक द्वारा प्रभावी अनुश्रवण के अभाव को इंगित करता है। यह, इसके विपरीत, नियमों/विनियमों के अनुपालन के प्रति जानबूझकर किए गए विचलनों को प्रश्रय देता है जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य/अनौचित्यपूर्ण व्यय होते हैं। ऐसी अनियमितताओं के कुछ मामले नीचे वर्णित हैं:

[29] *अरवल, औरंगाबाद, बाँका, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा एवं वैशाली।*

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

3.3.1 सरचार्ज के भुगतान के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय

बिहार राज्य जल पर्षद में कैपेसिटर बैंक एवं शंट कैपेसिटर्स के अनाधिष्ठापन के परिणामस्वरूप ₹ 1.37 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

बिहार सरकार के असाधारण राजपत्र (दिसंबर 2007) की कंडिका 6.23 के अनुसार सभी उच्च विभव (उ.वि.) उपभोक्ताओं द्वारा 90 प्रतिशत या उससे अधिक का पॉवर–फैक्टर (पा.फै.) संधारित किया जाना आवश्यक था। किसी भी विचरण के मामले में उपभोक्ता को या तो सरचार्ज का भुगतान करना था अथवा प्रोत्साहन राशि प्राप्त करनी थी जैसा कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग (आयोग) द्वारा निर्धारित किया गया था। इस शर्त को उपभोक्ताओं एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि.रा.वि.बो.) के मध्य क्रियान्वित उ.वि. अनुबंध (पा.फै. के उपबंध 4) में भी शामिल किया गया था। वर्ष 2008–09 के लिए आयोग द्वारा शुल्क आदेश में सरचार्ज दर[30] विहित किया गया था। औसत पॉ.फै. को बनाए रखने के लिए कैपेसिटर बैंक एवं शंट–कैपेसिटर जैसे विद्युत उपकरणों को उर्जा–संचयन प्रणाली के साथ लगाया जाना अपेक्षित था।

बिहार राज्य जल पर्षद (बि.रा.ज.प.) के चार[31] प्रमंडलों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ (अगस्त–सितंबर 2010) कि कैपेसिटर बैंक एवं शंट कैपेसिटर अधिष्ठापित नहीं किए जाने के कारण बि.रा.ज.प. (एक उ .वि. उपभोक्ता) ने अप्रैल 2008 से मार्च 2011 के दौरान औसत पॉ.फै. नहीं बनाए रखा। परिणामस्वरूप बि.रा.ज.प. ने मार्च 2011 तक बि.रा.वि.बो. को 208 विपत्रों के तहत ₹ 1.37 करोड़ की राशि का भुगतान सरचार्ज के रूप में किया था ***(परिशिष्ट 3.7)***। औसत पॉ.फै. बनाए रखने एवं आवर्ती हानि को रोकने हेतु अब तक विशेष कार्रवाई नहीं की गयी थी (मई 2011)। इस प्रकार बि.रा.ज. प. द्वारा कैपेसिटर बैंक एवं शंट कैपेसिटरस का अधिष्ठापन नहीं किए जाने के कारण पॉ.फै. में गिरावट के लिए सरचार्ज के रूप में ₹ 1.37 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मुख्य अभियंता, बि.रा.ज.प. ने अपने उत्तर में कहा (मई 2011) कि अनेक पुराने पंपों में कैपेसिटर बैंक नहीं लगाए जाने के कारण परिचालन के दौरान पॉ.फै. की हानि हुयी। उन्होंने पुनः कहा कि जल निस्सरण पंपिग स्टेशनों का उर्जा अंकेक्षण किए जाने हेतु एक एजेंसी को नियुक्त किया गया था। इसका प्रतिवेदन एवं अनुशंसाएँ प्राप्त होने के उपरांत समुचित उपाए किया जाएगा। प्रधान सचिव, लों.स्वा.अभि.वि. द्वारा भी इस तथ्य का समर्थन किया गया (सितंबर 2011)।

इस प्रकार, कैपेसिटर बैंक एवं शंट–कैपेसिटर्स को अधिष्ठापित नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा ₹ 1.37 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

---

30 *(I) 0.80 पॉ.फै. में प्रत्येक0 .01 की गिरावट के लिए = मांग एवं उर्जा–शुल्क पर एक प्रतिशत का सरचार्ज। (II) 0.80 के नीचे पॉ.फै. में प्रत्येक 0.01 की गिराबट के लिए = मांग एवं उर्जा शुल्क पर डेढ़ प्रतिशत।*

31 *प्रमंडल सं. 1, सैदपुर, पटना; प्रमंडल सं. 2, बेउर, पटना; प्रमंडल सं. 5 पहाड़ी, पटना; कार्य प्रमंडल, पटना।*

भवन निर्माण, पर्यावरण एवं वन, लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य एवं जल संसाधन विभाग

3.3.2 असमायोजित अग्रिम

प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा संहितीय प्रावधानों के अनुपालन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप सात विभागों[32] में ₹ 67.38 करोड़ की अस्थायी अग्रिमें असमायोजित/अवसूलित रहीं।

बिहार कोषागार संहिता भाग I के नियम 300 यह विहित करता है कि ''कोषागार से कोई धन की निकासी तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उसके तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। माँगों की प्रत्याशा में कोषागार से अग्रिमों का आहरण वैसे कार्यों के लिए, जिनकी पूर्णता में अत्यधिक समय लग सकता है या विनियोगों को व्यपगत होने से बचाने के लिए अनुज्ञेय नहीं है'' इसके अलावा, नियम 300 के तहत टिप्पणी यह उल्लेख करती है कि अगर विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकार के आदेश के तहत धन का अग्रिम रूप से आहरण किया जाता है, तो आहरित शेष राशि कोषागार में तत्काल और किसी भी परिस्थिति में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व जिसमें वह राशि आहरित की गयी हो, जमा कर दी जानी चाहिए। इसके साथ, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता का नियम 100 यह विहित करता है कि पारित अभिश्रवों के विरूद्ध किए गए भुगतानों हेतु दी गई अस्थायी अग्रिम को शीघ्रताशीघ्र बन्द कर दिया जाए।

सात चयनित विभागों, जिसमें 101 प्रमंडल शामिल थे, के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2010 से मई 2011) ने उजागर किया कि 382 प्रमंडलीय अधिकारियों के विरूद्ध ₹ 67.38 करोड़ की अस्थायी अग्रिम एक से लेकर 43 वर्षों से लंबित थी। इनमें से इस अवधि के दौरान 307 अधिकारियों को अन्य प्रमंडलों में स्थानांतरित कर दिया गया था, 53 सेवानिवृत्त हो गए थे तथा 22 की मृत्यु हो चुकी थी ***(परिशिष्ट 3.8)***।

प्रमंडलों द्वारा संबंधित अधिकारियों से अग्रिमों का असमायोजन/अवसूली उपरोक्त संहितीय प्रावधानों की अनदेखी तथा गैर–अनुपालन का द्योतक था। स्थानांतरित अधिकारियों को लंबित अग्रिमों का सामंजन/वसूली किए बिना विमुक्त कर दिया जाना संबंधित प्रमंडलीय पदाधिकारियों की ओर से गंभीर चूक थी। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न विभागों में ₹ 67.38 करोड़ की असमायोजित अग्रिमों का संचयन हुआ। जहाँ सेवानिवृत्त एवं मृतक अधिकारियों के परिवारों से ₹ 12.38 करोड़ की वसूली की संभावना नगण्य थी, वहीं इनमें से कुछ अग्रिमों का संबंधित अधिकारियों द्वारा दुर्विनियोजित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

जवाब में कार्यपालक अभियंताओं ने बताया कि लंबित अग्रिमों की वसूली के लिए विस्तृत अन्वेषण एवं पत्राचार किया जा रहा था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2011); उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवंबर 2011)।

---

[32] *भवन निर्माण, पर्यावरण एवं वन, लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य एवं जल संसाधन विभाग।*

जल संसाधन विभाग

3.3.3 अनियमित व्यय

एक कार्य में, जहाँ मिट्टी कार्य राजस्थानी ट्रैक्टर द्वारा निष्पादित किया जा रहा था, मिट्टी संपीडन का अस्वीकार्य प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप संवेदक को ₹ 1.43 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

सरकारी आदेश (दिसंबर 2008) यह विहित करता था कि सभी अनुबंधों में, जिनमें राजस्थानी ट्रैक्टरों द्वारा मिट्टी कार्य एवं उनका संपीडन शामिल था, संपीडन हेतु दरों का प्रावधान नहीं किया जाना था।

जल–पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ के अभिलेखों के नमूना जाँच (जनवरी 2011) से पता चला कि नालंदा जिलान्तर्गत राष्ट्रीय उच्चपथ सं. 31 (सकरौल गाँव) से गोइठवा नदी (दोनों किनारों) के जामसारी तक तथा राजपुर कुटौना गाँव से कुल्टे जियार तक दो जमींदारी बाँध, के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य एक संवेदक को क्रमशः ₹ 8.27 करोड़ और ₹ 5.31 करोड़ पर 18 महीने यथा सितम्बर 2011 तक पूर्ण करने के लिए संवेदक को सौंपा[33] गया।

पूर्व कथित कार्यों के अभिलेखों के लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि उपर्युक्त सरकारी आदेश की अवहेलना में राजस्थानी ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी कार्य संपादित कराए जाने के बावजूद दोनों अनुबंधों में ₹ 17.60/घन मी. के दर पर 'मिट्टी–संपीडन' मद को शामिल किया गया था। पूर्व के कार्य (यथा राजपुर कुटौना गाँव से कुल्टे जियार तक जमींदारी बाँध के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण) के वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी में कार्यपालक अभियंता की टिप्पणी, स्पष्ट रूप से यह कहे (अगस्त 2009) जाने, कि परिमाण विपत्र में राजस्थानी ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी के संपीडन कार्य के लिए अतिरिक्त प्रावधान समझौते में अनावश्यक, अनुचित था, के बावजूद इस प्रावधान को अनुबंध में शामिल किया गया। हाँलांकि, परिमाण विपत्र में संशोधन किए बिना और समझौतों से संपीडन के प्रावधान को हटाए बिना विभाग द्वारा संवेदकों को कार्य दिया गया।

इसके बाद नवम्बर 2010 में अभियंता प्रमुख (अभि.प्र.), जल संसाधन विभाग (उत्तरी) ने मुख्य अभियंता (मु.अभि.) ज.सं.वि., पटना को संपीडन के मद को एकरारनामा से हटाने हेतु निर्देश दिया क्योंकि राजस्थानी ट्रैक्टर द्वारा किए जा रहे मिट्टी कार्य में उसका प्रावधान और समाविष्टि स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने पुनः प्राक्कलन में उपयुक्त संशोधन का निर्देश दिया। फिर भी, संपीडन के मद को एकरारनामा से हटाया नहीं गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.43[34] करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, कार्यपालक अभियंता ने बताया (जनवरी 2011) कि प्राक्कलन में संपीडन के मद का प्रावधान सरकारी आदेश के अनुसार किया गया था। यह उत्तर

---

[33] *नालंदा जिलान्तर्गत एवं रा.उ.प. 31 से गोइठवा नदी (दोनों किनारे) के जामसारी तक जमींदारी बाँध के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य के लिए एकरारनामा संख्या 1एफ$_2$/2009–10 दिनांक 04.01.2010 और नालंदा जिलान्तर्गत – राजपुर–कुटौना गाँव से सकरी नदी के कुल्टे जिआर (किमी 11.40 से 24.00 बायाँ बाँध और 7.10 किमी से 22.94 किमी दायाँ बाँध) तक जमींदारी बाँध के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए एकरारनामा सं 2एफ$_2$/2009–10 दिनांक 04.01.2010।*

[34] *एकरारनामा सं. 1एफ$_2$/2009–10 में ₹ 17.60/मी^{3} की दर से 535454 मी^{3} और एकरारनामा सं. 2एफ$_2$/2009–10 में ₹ 17.60/मी^{3} की दर से 278563.45 मी^{3} 814017.45मी^{3} @ 17.60 मी^{3} = ₹ 143.27 लाख या ₹ 1.43 करोड़*

स्वीकार्य नहीं था और सरकारी आदेश (दिसम्बर 2008) के विपरीत था। यद्यपि इस उल्लंघन की सूचना मुख्य अभियंता को विशेष तौर पर कार्यपालक अभियंता द्वारा दूसरे कार्य के मामले में दी गई थी, तथापि संविदा प्रदान किए जाने के पूर्व इस मद को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹ 1.43 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

मामला सरकार को (मई 2011) प्रतिवेदित किया गया था; जवाब अभी तक अप्राप्त (नवम्बर 2011) था।

स्वास्थ्य विभाग

3.3.4 दवाओं का अनियमित क्रय

₹ 58.54 लाख की औषधियों को शामिल करते हुए ₹ 3.26 करोड़ के अनियमित भुगतान, ₹ 70.90 लाख के परिहार्य दायित्वों के सृजन एवं औषधियों के स्थानीय क्रय में ₹ 24.05 लाख के अधिक भुगतान के परिणामस्वरूप औषधियों के क्रय में कुल ₹ 4.21 करोड़ की अनियमितताएँ थीं।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के संकल्प (जुलाई 2006) में असैनिक शल्य चिकित्सक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दवाओं, सर्जिकल और अन्य क्लिनिकल सामग्रियों के क्रय हेतु जिला स्वास्थ्य समितियों (जि.स्वा.स.) को अधिप्राप्ति अभिकरणों के रूप में नामित किया गया था। संबंधित जि.स्वा.समितियों को, चिकित्सा आवश्यकताओं को अनुमोदित नियमों एवं शर्तों के आधार पर उन विक्रेताओं से अधिप्राप्त करना था जो राज्य स्वास्थ्य समिति (रा.स्वा.स.) पटना द्वारा अनुमोदित थे। सभी भुगतान प्रारंभ में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किये जाने थे जिन्हें बाद में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रतिपूरित किया जाना था।

12[35] असैनिक शल्य चिकित्सकों, आठ[36] जिला स्वास्थ्य समितियों और सदर अस्पताल, मोतीहारी का वर्ष 2008–11 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित अनियमिताएँ पाई गईं:

3.3.4.1 अनाधिकृत अग्रिम

जिला स्वास्थ्य समिति के आपूर्ति एकरारनामों में सभी दवाओं का क्रय 'भुगतान एवं पावती' (कैश एवं कैरी) के आधार पर करना था एवं आपूर्तिकर्त्ताओं को अग्रिम भुगतान निषिद्ध था। इस प्रावधान का उल्लंघन कर असैनिक शल्य चिकित्सक, रोहतास और जि.स्वा.स., मधुबनी एवं बेगुसराय ने वर्ष 2008–11 के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों को दवाओं की खरीद के लिए ₹ 3.26 करोड़ का अग्रिम दिया। इन अग्रिमों के विरूद्ध मात्र ₹ 2.67 करोड़ की दवाओं की आपूर्ति की गई और परिणामस्वरूप ₹ 58.54 लाख (अगस्त 2011) की दवाओं की आपूर्ति नहीं हुई ***(परिशिष्ट 3.9)***।

जवाब में असैनिक शल्य चिकित्सक रोहतास और जि.स्वा.स. मधुबनी तथा बेगुसराय ने कहा (अगस्त 2006) कि अग्रिम भुगतान विभागीय संकल्प (जुलाई 2006) के आलोक में किये गये थे और दवाओं की अनापूर्ति के मुद्दे पर आपूर्तिकर्त्ताओं को तुरंत दवाओं की

---

[35] *आरा, बक्सर, भभुआ, बेगुसराय, भागलपुर, खगड़िया, मधुबनी, मोतीहारी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर रोहतारा और वैशाली।*

[36] *भभुआ, बक्सर, बेगुसराय, खगड़िया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और रोहतास।*

आपूर्ति के लिए कहा गया है, जिसके नहीं किए जाने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दवाओं के क्रय के लिए 'भुगतान एवं पावती' प्रावधान के अन्तर्गत आपूर्ति हेतु अग्रिम का भुगतान नहीं किया जाना था।

परिणामस्वरूप ₹ 3.26 करोड़ के अग्रिम का अनियमित भुगतान हुआ और सरकार के जोखिम और लागत पर आपूर्तिकर्त्ताओं को अनुचित लाभ प्रदान किए जाने के अलावा ₹ 58.54 लाख के दवाओं की आपूर्ति नहीं की जा सकी।

3.3.4.2 निधि का अविवेकपूर्ण प्रत्यर्पण और दवाओं का अनाधिकृत क्रय

दवाओं का क्रय बजट आबंटन के अनुसार सुनिश्चित करना असैनिक शल्य चिकित्सक का उत्तरदायित्व था। बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.) के नियम 13(2) में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सभी शुल्कों का आहरण एवं भुगतान एक ही बार में होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में अगले वर्ष के अनुदान से भुगतान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर संभव हो तो, व्यय को अगले वर्ष के नए बजट तैयार, प्रावधान करने का अवसर दिए जाने, और बजट की मंजूरी होने तक स्थगित कर देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष में किए गए व्यय को दूसरे वर्ष के अनुदान पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

असैनिक शल्य चिकित्सक, वैशाली के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2010) में पाया गया कि वर्ष 2009–10 में दवाओं के क्रय के लिए ₹ 1.81[37] करोड़ का बजट आवंटन था जिसमें ₹ 11.23 लाख प्रत्यर्पित कर दिया गया (मार्च 2010) जिससे अनुदान की राशि घटकर ₹ 1.70 करोड़ हो गई। हाँलांकि असैनिक शल्य चिकित्सक, वैशाली ने जि.स्वा.स. वैशाली के माध्यम से ₹ 1.91 करोड़ की दवाओं के क्रय हेतु आपूर्त्ति आदेश दिया। पुनः, यह स्वास्थ्य विभाग के संकल्प के उल्लंघन में, जबकि दवाओं के क्रय के लिए केवल जि.स्वा.स. अधिकृत था, असैनिक शल्य चिकित्सक, वैशाली ने ₹ 49.90 लाख की दवाओं का सीधे क्रयादेश जारी किया। परिणामस्वरूप पूरे वर्ष के दौरान कुल ₹ 2.41 करोड़ का क्रय हुआ और इसमें ₹ 70.90 लाख के दायित्व सृजन के अलावा अनियमित व्यय किया गया।

यह इंगित (जून 2010) किए जाने पर विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था (नवंबर 2011)।

3.3.4.3 स्थानीय क्रय पर अधिक भुगतान

स्वास्थ्य विभाग के संकल्प (जुलाई 2006) यह विहित करता था कि राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुमोदित सूची में शामिल दवाओं की खरीद के लिए निविदाओं को आमंत्रित करने अथवा जिला क्रय समिति (जि.क्र.स.) की बैठक बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। असैनिक शल्य चिकित्सक, भागलपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी 2010) में पाया गया कि वर्ष 2008–10 में, 20 मामलों में दवाएँ जो राज्य स्वास्थ्य समिति की अनुमोदित सूची में थे और जिनके मूल्य ₹ 74.01 लाख थे, जि.क्र.स. की सिफारिश पर रा.स्वा.स. के अनुमोदित दर से ऊँची दरों पर स्थानीय क्रय किया गया। निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन में इन क्रयों के परिणामस्वरूप ₹ 24.05 लाख का अधिक भुगतान हुआ ***(परिशिष्ट 3.10)***।

---

[37] *प्रा.स्वा.के.: ₹ 1.15 करोड़, सदर अस्पताल: ₹ 24.00 लाख, रेफरल अस्पताल: ₹ 21.36 लाख, अतिरिक्त प्रा.स्वा.के.: ₹ 20.50 लाख।*

जवाब में असैनिक शल्य चिकित्सक, भागलपुर ने कहा कि (जनवरी 2011) दवाओं का स्थानीय क्रय अनुमोदित प्रतिष्ठान द्वारा दवा आपूर्त्ति में विलंब के कारण किया गया तथा जि.क्र.स. द्वारा अनुमोदित दरों पर प्रतिष्ठानों से क्रय किया गया। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस तरह के क्रय अधिकृत नहीं थे और इन प्रतिष्ठानों को आपूर्ति आदेश दिए जाने का काई दस्तावेजी प्रमाण भी नहीं था। इस प्रकार, दवाओं के समय पर आपूर्ति किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। दवाओं का रा.स्वा.स. द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर अधिप्राप्ति और अनाधिकृत जि.क्र.स. द्वारा मंजूरी प्रदान किए जाने के कारण ₹ 24.05 लाख का अधिक व्यय हुआ।

तीन मामलों में, उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2008–11 के दौरान ₹ 3.26 करोड़ अनाधिकृत अग्रिम के साथ ₹ 58.44 लाख की दवाओं की अनापूर्ति, ₹ 49.90 लाख का अनाधिकृत क्रय, ₹ 70.90 लाख की अपरिहार्य दायित्वों का सृजन और स्थानीय क्रय पर ₹ 24.05 लाख के अधिक भुगतान से दवाओं के क्रय पर कुल ₹ 4.21 करोड़ की अनयमितताएँ की गयी।

मामल सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2011), उनका जवाब अप्राप्त (नवम्बर 2011) था।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, लघु जल संसाधन, पथ निर्माण, जल संसाधन एवं ग्रामीण कार्य विभाग

3.3.5 पाँच विभागों में श्रम–उपकर की वसूली नहीं करने के कारण दायित्व का सृजन

श्रम–उपकर की वसूली नहीं किए जाने के कारण ₹ 8.42 करोड़ की राशि के दायित्व का सृजन हुआ।

सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना (865 दिनांक 18 फरवरी 2008) द्वारा श्रम–उपकर लागू किये जाने के लिए अधीकृत किया जैसा कि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार' कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 में परिकलित था। इस अधिनियम के तहत एक नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम–उपकर के रूप में कटौती किया जाना अपेक्षित था। तदनुसार सभी सरकारी विभागों एवं निर्माण कार्यों में लगे हुए लोक उपक्रमों को निर्धारित दर पर अभिकरणों के विपत्रों से श्रम–उपकर की कटौती कर 30 दिनों के अंदर 'भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' (कल्याण बोर्ड) को एक रेखांकित बैंक ड्राफ्ट से जमा करना था।

पाँच विभागों[38] के 51 प्रमंडलों (अगस्त 2010 से मई 2011) की जाँच से उजागर हुआ कि 2008–09 से 2010–11 के दौरान विभिन्न अभिकरणों/संवेदकों को 1057 कार्यों के लिए कुल ₹ 862.63 करोड़ का भुगतान किया गया था। हाँलांकि ₹ 8.63 करोड़, जो निर्माण लागत के एक प्रतिशत राशि थी एवं संबंधित अभिकरणों/संवेदकों के विपत्रों से कटौती नहीं गयी थी, इस अधिनियम के तहत कल्याण बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गई। फलस्वरूप उपरोक्त विभागों द्वारा श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के प्रति ₹ 8.63 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.11)*** के दायित्व का सृजन हुआ।

---

[38] *लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणः 11 प्रमंडल; जल संसाधनः 7 प्रमंडल; पथ निर्माणः 9 प्रमंडल; लघु जल संसाधनः 1 प्रमंडल और ग्रामीण कार्यः 23 प्रमंडल।*

यह इंगित किए जाने पर संबंधित कार्यपालक अभियंताओं (अगस्त 2010 से मई 2011) ने जवाब दिया कि श्रम–उपकर की कटौती इसलिए नहीं की गई क्योंकि इसका अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं था, इस तथ्य के बारे में जागरूकता की कमी थी एवं संबंधित विभागों द्वारा प्रमण्डलों को सूचना नहीं दी गयी थी। ये उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि श्रम–उपकर को असाधारण राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधीकृत किया गया था और कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य संविदाओं में अनिवार्य रूप से श्रम उपकर का प्रावधान कर कटौती किया जाना था।

यद्यपि मामला सरकार को मई 2011 में प्रतिवेदित किया गया था, अक्टूबर 2011 तक केवल पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) (जून 2011) और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (अक्टूबर 2011) से उत्तर प्राप्त हुए थे।

- संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग ने मुख्य सचिव (मु.स.) के परिपत्र बी.सी. डब्लू.सी./01/2009/035 दि. 5 जनवरी 2010 का हवाला देते हुए स्वीकार किया कि राज्य में श्रम–उपकर की कटौती वर्ष 2007–08 से ही की जानी थी एवं वर्ष 2007–10 की अवधि के दौरान कुल सम्पादित कार्य की एक प्रतिशत राशि जमा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी।

- प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने पूर्व कथित मु.सचिव के परिपत्र को संलग्नित करते हुए कहा (अक्टूबर 2011) कि वर्ष 2010–11 की अवधि के दौरान लो.स्वा. प्रमंडल, हाजीपुर के अधीन एक एजेंसी (आई.वी.आर.सी.एल., हैदराबाद) से ₹ 20.83 लाख की कटौती की गयी थी, लो.स्वा. प्रमंडल, दरभंगा में वर्ष 2011–12 से संवेदकों के विपत्र से श्रम–उपकर की कटौती की जाएगी। हाँलांकि अन्य नौ नमूना जाँचित लो.स्वा. प्रमंडलों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। साथ ही वर्ष 2007–08 से वर्ष 2010–11 की अवधि के दौरान संवेदकों द्वारा कराए गए कार्यों के विरूद्ध श्रम–उपकर की कटौती कैसे की जाएगी, इसका उल्लेख नहीं था।

इस प्रकार श्रम–उपकर की कटौती नहीं किए जाने से ₹ 8.42[39] करोड़ के दायित्व का सृजन हुआ।

मानव संसाधन विकास विभाग
(उच्चतर शिक्षा)

3.3.6 निधियों का दुरूपयोग

राज्य के सात विश्वविद्यालयों के उप–कुलपतियों द्वारा छात्रों से एकत्र किए गए ₹ 17.23 करोड़ के शुल्कों को अपने कर्मचारियों के वेतन पर अनियमित रूप से उपयोग किया गया जिसने संबंधित महाविद्यालयों के अंतःसंरचनात्मक विकास एवं सुविधाओं को प्रभावित किया।

विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति ने महाविद्यालयों द्वारा सभी छात्रों से एकत्र किए गए शुल्क[40] संबंधित विश्वविद्यालयों को स्थानांतरित एवं निर्दिष्ट खातों में जमा करने का

---

39 *₹ 862.57 लाख – ₹ 20.83 लाख = ₹ 841.74 लाख या ₹ 8.42 करोड़।*

40 *शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, महाविद्यालय विकास शुल्क इत्यादि।*

निर्देश (दिसंबर 2006) जारी किया। इन खातों को विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों एवं वित्त पदाधिकारियों द्वारा महाविद्यालयों में अंतःसंरचनात्मक सुधारों, क्रीड़ास्थलों के विकास, प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों के संधारण एवं कर्मियों तथा छात्रों के सुविधाओं के सुधार के लिए संचालित किया जाना था।

सात विश्वविद्यालयों में संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई 2010 और जून 2011) से उजागर हुआ कि दिसम्बर 2006 से मार्च 2011 तक की अवधि में इन विश्वविद्यालयों ने उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए निर्दिष्ट खाते से राशि को विचलित कर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु ₹ 17.23[41] करोड़ का उपयोग किया।

कुल सचिव, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय (जुलाई 2010) एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (मई 2011) ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए कहा कि वेतन भुगतान हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए माँग के विरूद्ध सरकार से पर्याप्त अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण इसका विचलन किया गया। ये उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि शुल्कों की संग्रहित राशि महाविद्यालयों के अंतःसंरचनात्मक विकास हेतु कर्णांकित थी एवं इसे किसी अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार सात राज्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए ₹ 17.23 करोड़ की छात्र–शुल्क राशि का विचलन किए जाने का परिणाम संबंधित महाविद्यालयों में अंतःसंरचनात्क विकास और अन्य सुविधाओं हेतु तदनुरूपेण निधियों की अनुपलब्धता हुई। मई 2011 तक इन राशियों की प्रतिपूर्ति नहीं की गयी थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (जून 2011) किया गया; उनका जवाब (नवम्बर 2011) अप्राप्त था।

3.3.7 विश्वविद्यालय कर्मचारियों को अनियमित भुगतान

विश्वविद्यालय कर्मचारियों को अग्रिम वेतनवृद्धि, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन लाभ और अंतरिम राहत मद में ₹ 4.18 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया गया।

3.3.7.1 अग्रिम वेतन वृद्धि का अनियमित भुगतान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) की अनुशंसाओं (अगस्त 2001 और जुलाई 2002) के बाद मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को, निदेश (मई 2010) जारी किया कि वैसे शिक्षकों को दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की जाए, जिन्होंने जनवरी 1996 के पूर्व पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त तो कर ली थी परन्तु इसके विरूद्ध पदोन्नति लाभ नहीं मिला था। दो अग्रिम वेतन वृद्धि 27 जुलाई 1998 के प्रभावी तिथि से देय था। हाँलांकि वित्तीय लाभ संकल्प तिथि 18 मई 2010 से प्राप्त होना था।

---

[41] *बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुराः ₹ 1.17 करोड़, बी.आर. अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुरः ₹ 7.00 करोड़, तिलका माँझी विश्वविद्यालय, भागलपुरः ₹ 2.24 करोड़, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगाः ₹ 0.95 करोड़, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आराः ₹ 0.71 करोड़, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपराः ₹ 4.02 करोड़ और मगध विश्वविद्यालय, बोध गयाः ₹ 1.14 करोड़।*

नौ[42] विश्वविद्यालयों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2010) से प्रकटित हुआ कि तीन[43] विश्वविद्यालयों में उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन कर 18 मई 2010 के बदले 1 जनवरी 1996 से ही 247 पी.एच.डी. धारक शिक्षकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.12)*** का अनियमित भुगतान हुआ।

यह इंगित किए जाने पर वित्त पदाधिकारी, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा ने अनियमित भुगतान की वसूली का आश्वासन (मई 2011) दिया। हाँलांकि, वसूली सम्बन्धित सूचना प्रतीक्षित (नवम्बर 2011) थी। जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा से नवम्बर 2011 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं था।

3.3.7.2 सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन लाभ योजना का अनियमित कार्यान्वयन

वित्त विभाग बिहार सरकार ने बिहार राज्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन लाभ योजना (ए.सी.पी.) नियमावली 2003 घोषित (जून 2003) किया जो अगस्त 2005 से प्रभावी था। अधिसूचना का खंड 1 (2) में स्पष्ट रूप से स्वायत्तशासी संस्थानों के कर्मचारियों पर यह लागू नहीं था जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा सहायतित था। इसके अलावा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 का खंड 25 (ii) विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या उसके संस्थानों में सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि दिए जाने को निषिद्ध करता था।

राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (रा.कृ.वि.) बिहार, पूसा (समस्तीपुर) मुख्यालय तथा इसके छः[44] सहायक इकाइयों के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2010) से प्रकट हुआ कि प्रबंधन बोर्ड, रा.कृ.वि. ने अनियमित रूप से इस अधिसूचना (जून 2003) को अपनाया (अप्रैल 2004) और अपने कर्मचारियों का ए.सी.पी. का लाभ दिया हाँलांकि यह रा.कृ.वि. के कर्मचारियों के लिए कतई लागू नहीं था क्योंकि यह स्वायत्त संस्था थी। इसके परिणामस्वरूप रा.कृ.वि. मुख्यालय और छः नमूना जाँचित इकाइयों ***(परिशिष्ट 3.13)*** के 385 सदस्य–कर्मियों पर ₹ 1.89 करोड़ अनाधिकृत भुगतान हुआ।

रा.कृ.वि. के नियंत्रक ने कहा (जुलाई 2011) कि ए.सी.पी. योजना प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन से लागू की गयी थी तथा राज्य सरकार से किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस योजना का लाभ स्वायत्तशासी संस्थानों के कर्मचारियों को देय नहीं था। इस लाभ का दिया जाना स्पष्ट रूप से दिनांक जून 2003 के अधिसूचना का स्पष्ट उल्लंघन था और बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

---

42 *बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा; बी.आर. अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर; कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा; तिलका माँझी विश्वविद्यालय, भागलपुर; ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा; वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा; जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा; मगध विश्वविद्यालय, बोध गया और पटना विश्वविद्यालय, पटना।*

43 *बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा; जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा; और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।*

44 *(i) बिहार पशुपालन महाविद्यालय, पटना (बि.प.म.) (ii) क्षेत्रीय शोध संस्थान (क्षे.शो.सं.), अगवानपुर (iii) बिहार कृषि महाविद्यालय (बि.कृ.वि.), सबौर (iv) कृषि शोध संस्थान (कृ.शो. सं), पटना (v) मिट्टी सर्वेक्षण एवं भूमि प्रयोग कार्यक्रम योजना, सबौर एवं (vi) ईख शोध संस्थान (ई.शो.सं.), पटना।*

3.3.7.3 अन्तरिम राहत का अनियमित भुगतान

विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में राज्य सरकार को अक्टूबर 2004 के आदेश की कंडिका 12 के प्रावधानों के अनुसार पूर्व–पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन एवं भुगतान का विकल्प स्वीकार करने वाले कर्मचारियों को अप्रैल 1997 (वेतन पुनरीक्षण के वित्तीय लाभ दिये जाने की तिथि) की प्रभावी तिथि से अंतरिम राहत (अं.रा.) का भुगतान रोक दिया जाना था। तदनुसार, बकाया भुगतान के समय कर्मचारियों को पुराने वेतनमान में अं.रा. का भुगतान को समायोजित किया जाना था और पुनरीक्षित वेतनमान के लागू किए जाने की तिथि से अं.रा. भुगतान को रोक दिया जाना था।

तीन[45] विश्वविद्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (मई–जून 2011) में निम्न अनियमितताएँ पाई गईः

- पटना विश्वविद्यालय (प.वि.) में, 24[46] मामलों में एक से 11 वर्षों की अवधि में की अं.रा. राशि ₹ 4.83 लाख वसूलनीय (जून 2011) था। इसके अलावा, 16 मामलों में विश्वविद्यालय ने पूर्व–पुनरीक्षित वेतनमान की निकासी की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर 2010 तक ₹ 19.84 लाख का अनियमित भुगतान हुआ। इसके बाद उनके वेतनमानों को पुनरीक्षित (जनवरी 2011) किया गया और अं.रा. के भुगतानों को बंद कर दिया गया। पाँच कर्मचारी, जिन्हें अप्रैल 1997 से मार्च 2005 तक की अवधि में अं.रा. मद में ₹ 4.13 लाख का भुगतान किया गया था, सेवानिवृत्त हो चुके थे जबकि एक मामले में अप्रैल 1997 से मार्च 2009 तक की अवधि की अं.रा. की ₹ 0.86 लाख राशि को बकाया राशियों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया था। इस प्रकार प.वि. के 46 कर्मचारियों को कुल ₹ 26.67 लाख का भुगतान अनियमित था और उनसे वसूलनीय ***(परिशिष्ट 3.14)*** था।
- बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा में अं.रा. के रूप में अप्रैल 1997 से फरवरी 2011 की अवधि के लिए पूर्णियाँ महाविद्यालय, पूर्णियाँ के वर्ग III के चार कर्मचारियों को, जिन्होंने पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प लिया था, कुल ₹ पाँच लाख भुगतान किया गया था। ये भुगतान अनियमित थे और उनसे वसूलनीय थे ***(परिशिष्ट 3.15)***।
- मगध विश्वविद्यालय, बोध गया में अं.रा. के रूप में वर्ग III के चार कर्मचारियों को, जिन्होंने पूर्व–पुनरीक्षित वेतनमान को चयनित किया था ₹ 4.38 लाख (अप्रैल 1997 से फरवरी 2011 के अवधि में) का भुगतान अनियमित एवं वसूलनीय था। इन चार कर्मचारियों को अं.रा. का भुगतान अद्यतन जारी था ***(परिशिष्ट 3.16)***।

इस प्रकार पूर्व कथित तीन विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को अं.रा. में ₹ 39.04 लाख का अनियमित भुगतान किया गया जो वसूलनीय था। लेखापरीक्षा अवलोकनों को कुलसचिव, प.वि. ने स्वीकार किया (जुलाई 2011) एवं आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के बकाया विपत्रों से तथा सेवानिवृत कर्मचारियों की बकाया राशि से वसूली की जाएगी। अन्य दो विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

---

[45] *पटना विश्वविद्यालय, पटना; बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा एवं मगध विश्वविद्यालय, बोध गया।*

[46] *2005–06 के 14 मामलों में ₹ 1.50 लाख; 2002–06 के 8 मामलों में ₹ 1.92 लाख; 2002–07 के एक मामले में ₹ 0.27 लाख एवं 1997–98 के एक मामले में ₹ 1.14 लाख।*

उपरोक्त तथ्यों ने उजागर किया कि छः विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को प्रोत्साहन वेतन वृद्धि (₹ 1.90 करोड़), सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन लाभ (₹ 1.89 करोड़) एवं अंतरिम राहत (₹ 39.05 लाख) मद में अनियमित रूप से ₹ 4.18 करोड़ का भुगतान किया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2011); उनके उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2011)।

ग्रामीण विकास विभाग

3.3.8 राज्य योजना निधियों का अनियमित अवरूधन

बिहार कोषागार संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन में बिना तत्काल आवश्यकता के कोषागार से ₹ 42.78 करोड़ की निकासी कर अनियमित रुप से बचत खातों में रखा गया।

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.) नियम 13 सह पठित बिहार कोषागार संहिता के नियम 300 के नीचे की टिप्पणी यह विहित करता है कि जब तक तत्काल भुगतान आवश्यक न हो तब तक कोषागार से राशि निकासी नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा बि.वि.नि. के नियम 13 के नीचे टिप्पणी यह निर्देशित करती है कि कोषागार से राशि कि निकासी इस आधार पर नहीं की जानी चाहिए कि यह व्यय सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की गयी थी। उपरोक्त नियमों के प्रावधान आवंटन को व्यपगत होने से बचाने के उद्देश्य से कोषागार से राशि की निकासी करने एवं इसे किसी अन्य खाते में जमा किये जाने को वर्जित करता है। यदि विशेष परिस्थितियों में सक्षम पदाधिकारी के आदेश से राशियों की पूर्व में निकासी की गई थी तो अव्ययित अवशेष राशि तुरंत अथवा किसी भी परिस्थिति में निकासी वर्ष के समाप्त होने के पूर्व कोषागार में जमा कर दिया जाना था।

नव सृजित 137 प्रखण्डों में आवश्यक अंतःसंरचना[47] उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.), बिहार सरकार ने ₹ 713.54 करोड़ स्वीकृत (फरवरी 2008) किया। सम्बन्धित जिलों के भवन निर्माण प्रमण्डलों द्वारा कार्यों का क्रियान्वयन होना था, तथा वर्ष 2007–11 अवधि के दौरान चरणबद्ध[48] तरीके से निधियाँ विमुक्त की जानी थी। आदेश निर्गत करते समय प्रधान सचिव (प्र.स.), ग्रा.वि.वि. ने उपरोक्त संहिता प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सम्बन्धित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (जि.ग्रा.वि.अ.) के संबद्ध जिला विकास आयुक्तों (जि.वि.आ.) कि विमुक्त की गई राशियों को आहरित कर इसे बैंक के अलग बचत खाताओं में जमा हेतु अनुदेशित किया। इसी बीच सरकार ने तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा कार्य के अनुश्रवण हेतु तीन[49] सलाहकार आर्किटेक्ट नामित (मार्च 2008) किया।

---

47 *प्रखंड क्षेत्र भवन और अंचल कार्यालय, निरीक्षण कमरा, आवासीय भवन और परिसर का विकास।*

48 *प्रथम किस्त के रूप में 40 प्रतिशत, अगला 40 प्रतिशत प्रदत्त राशि के 60 प्रतिशत व्यय के बाद एवं शेष 20 प्रतिशत कुल प्रदत्त राशि का 60 प्रतिशत व्यय होने के बाद।*

49 *कपूर एण्ड एसोसिएट्स, सेन एण्ड कॉनसल्टेन्ट प्राइवेट लिमिटेड एवं चौधरी कुमार कॉनसल्टेन्ट प्राइवेट लिमिटेड।*

नौ[50] जि.ग्रा.वि.अ. के अभिलेखों के नमूना जाँच (जनवरी से अप्रैल 2011) में प्रकटित हुआ कि फरवरी 2008 से मार्च 2009 के दौरान 17 प्रखण्डों के लिए ₹ 43.48 करोड़ जि.ग्रा.वि.अ. को किश्तों में विमुक्त किया गया था। इसमें से ₹ 69.46 लाख मिट्टी परीक्षण एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (वि.प.प्र.) पर व्यय किया गया था, जबकि निर्माण कार्यों पर कोई भी राशि व्यय नहीं की गई थी।

इस प्रकार फरवरी 2008 से मार्च 2009 के बीच ₹ 42.78 करोड़ की राशि ***(परिशिष्ट 3.17)***, बिना किसी तत्काल आवश्यकता के निकासी की गई तथा बिहार वित्तीय नियम एवं बिहार सरकार कोषागार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर राशि को व्यपगत होने से बचाने के लिए बैंक के बचत खाताओं में रखा गया। इसके अलावा ग्रा.वि.वि. के प्रधान सचिव द्वारा सम्बन्धित उप–विकास आयुक्त को समस्त राशि की निकासी कर उन्हें अलग–अलग बचत खाताओं में जमा करने का आदेश अनियमित था।

यह इंगित किए जाने पर उप.वि.आयुक्तों ने राशि की निकासी विभागीय निर्देशों के आधार पर किए जाने को उचित ठहराया और आश्वासन दिया कि आवश्यक कार्रवाई आरंभ की जाएगी, वहीं प्रधान सचिव, ग्रा.वि.वि. ने बताया (अगस्त 2011) कि प्रक्रियात्मक में विलम्ब के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका था एवं सभी अव्यवहृत राशि को कोषागार में जमा करने का निर्देश जारी कर दिया गया है।

कृषि विभाग

3.3.9 निधियों का अनियमित विचलन एवं अल्प उपयोग

पावर टीलर प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के किसानों के लिए कर्णांकित ₹ 3.74 करोड़ की निधि को अनियमित रूप से विचलित किया गया।

कृषि विभाग, बिहार सरकार ने वर्ष 2008–11 के दौरान कृषि प्रबंधन को बेहतर करने एवं कृषि उत्पादकता को बढ़ाने हेतु एक ''कृषि मशीनीकरण कार्यक्रम'' का सूत्रपात किया। ''पावर टीलर प्रोत्साहन कार्यक्रम'' इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक था जिसमें किसानों को अनुदानित दरों[51] पर पावर टीलर उपलब्ध कराया गया था। योजना मार्गदर्शिका के अनुसार आवंटनों का 16 एवं एक प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के किसानों के लिए कर्णांकित था। अ.जा. एवं अ.ज.जा. के लिए कर्णांकित निधियों के विचलन की अनुमति नहीं थी।

- बाइस[52] जिला कृषि पदाधिकारियों के योजना अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल से जुलाई 2011) से ज्ञात हुआ कि आठ[53] जिला कृषि पदाधिकारियों ने वर्ष 2008–11 के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. के किसानों के निमित्त अनुदान की ₹ 3.74 करोड़ की राशि को अनियमित रूप से विचलित कर अन्य श्रेणी के किसानों को दिया जो नीचे वर्णित है:

---

50 *मुंगेर, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण), समस्तीपुर, छपरा (सारण), नवादा, नालंदा, सासाराम, शिवहर एवं सीतामढी।*

51 *पावर टीलर के मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत या ₹ 60,000, जो भी कम हो।*

52 *आरा, अररिया, औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, छपरा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किसनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी तथा वैशाली।*

53 *बेगुसराय, गया, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, सीतामढ़ी और वैशाली।*

(₹ लाख में)

वर्ष	जि.कृ.प. की संख्या	आवंटन	अ.जा./अ.ज.जा. के लिए कर्णांकित निधियाँ	अ.जा./अ.ज.जा. पर व्यय	विचलन
2008.09	2[54]	560.40	95.27	16.2	59.80[55]
2009.10	4[56]	125.40	21.32	1.20	20.12
2010.11	6[57]	2200.20	374.03	80.40	293.63
कुल		**2886.00**	**490.62**	**97.80**	**373.55**

यह इंगित किए जाने पर जिला कृषि पदाधिकारियों[58] ने कहा (मई एवं जून 2011) कि चूँकि अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के किसानों से अपेक्षित संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं हुई थी, यह राशि अन्य श्रेणी के किसानों को वितरित कर दी गई। पुनः जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली ने आश्वस्त किया कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये जवाब स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि यह राशि अ.जा./अ.ज.जा. के किसानों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए कर्णांकित थी तथा योजना मार्गदर्शिका में इसके विचलन को विशेष रूप से निषिद्ध किया गया था।

- पुनः योजना मार्गदर्शिका के अनुसार प्रत्येक जिले को विहित प्रपत्र (प्रपत्र 4.5) में अनुदान का उपयोगिता संबंधी अभिलेख संधारित करना था। तीन[59] जिलों में ₹ 1.17 करोड़ का व्यय (2008–11) किया गया था। तथापि लाभार्थियों की श्रेणी दर्शानेवाले कॉलम को प्रपत्र से हटा दिया गया था। परिणामस्वरूप अ.जा./अ.ज.जा. के किसानों को वितरित अनुदान की वास्तविक राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार ने अपने जवाब (अक्टूबर 2011) में कहा कि किसानों को पॉवर टीलर प्रदान करने हेतु न्यूनतम एक एकड़ भूमि के स्वामित्व के मानदंड ने अ.जा./अ.ज.जा. के किसानों को वर्ष 2008–11 के दौरान योजनाओं के लाभ से वंचित किया। इसके अलावा समाचार पत्रों में, प्रखण्डों के सूचना–पट्टों, कृषि मेले एवं प्रदर्शनों द्वारा विज्ञापित किए जाने के बावजूद पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप अ.जा./अ.ज.जा. हेतु कर्णांकित निधियाँ प्रत्यर्पित कर दी गयी अथवा लोक हित में इसे सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए विचलित कर दिया गया।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निधि को कर्णांकित करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इस योजना के तहत अ.जा./अ.ज.जा. के किसानों को निधि उपलब्ध कराई जाए। योजना मार्गदर्शिका में भी अ.जा./अ.ज.जा. के किसानों के लिए निमित्त निधि को सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए विचलन करने की मनाही थी। अतः अ.जा./अ.ज.जा. के किसानों के लिए इस योजना के अधीन कर्णांकित ₹ 3.74 करोड़ का विचलन अनियमित एवं अप्राधिकृत था।

---

54 *नालन्दा और पटना।*

55 *₹ 19.27 लाख का प्रत्यर्पण किया गया।*

56 *गया, खगड़िया, सीतामढ़ी और वैशाली।*

57 *बेगुसराय, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना और वैशाली।*

58 *मुजफ्फरपुर एवं वैशाली।*

59 *अररिया, छपरा एवं गोपालगंज।*

3.4 निरीक्षण/संचालन में विफलता

जनसेवा एवं अंतःसंरचना में सुधार तथा विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए जन समुदाय के जीवन को उन्नत करने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। हाँलांकि लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि समुदाय के लाभ के लिए सरकारी संपत्ति के सृजन के लिए जो निधि सरकार द्वारा विमुक्त की गई वह निधि विभिन्न स्तरों पर अनिर्णय, प्रशासकीय निरीक्षण तथा एकताबद्ध कार्रवाई के अभाव में अव्यवहृत/अवरूद्ध रही तथा/या निष्फल/अनुत्पादक साबित हुई। कुछ मामले नीचे वर्णित किए गए हैं:

स्वास्थ्य विभाग

3.4.1 निष्क्रिय भवन तथा उपकरण

विभागीय एवं जिला स्तरों पर योजना एवं अभिश्रवण के अभाव के कारण ₹ 1.89 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा ₹ 76.25 लाख अनियमित रूप से अवरोधित रहा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार सरकार ने 22[60] सदर अस्पतालों में गहन–देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु असैनिक–शल्य–सह–मुख्य–चिकित्सा पदाधिकारियों को ₹ 34.11 लाख प्रति इकाई की दर से कुल ₹ 7.50 करोड़ आवंटित (नवंबर 2005) किया। इस राशि को संबंधित जिलों में सघन देखभाल इकाई (आ.सी.यू.) भवनों के निर्माण के लिए के संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियों को हस्तांतरित किया जाना था।

इसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना ने आई.सी.यू. के उपकरण खरीद के लिए सात जिलों[61] को, जिसमें पटना भी शामिल था और जहाँ अस्पताल परिसर में उपकरणों को स्थापित करने के लिए स्थान पहले से ही उपलब्ध था, प्रथम किस्त के रूप में (उपकरणों के लिए प्रत्येक को ₹ 18 लाख एवं प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक को ₹ दो लाख) ₹ 1.40 करोड़ विमुक्त किया। आई.सी.यू. उपकरणों की अधिप्राप्ति की जिम्मेवारी संबंधित जिलों के संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों के निश्चेतना विभाग के अध्यक्ष को दी गई थी। आई.सी.यूओं का सफलतापूर्वक परिचालन जनवरी 2009 तक कर लेना था।

जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर के अभिलेखों के नमूना जाँच (फरवरी 2009) एवं छः[62] जिला स्वास्थ्य समितियों से सूचना–संग्रहण (अप्रैल से मई 2011) से निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए:

- समस्तीपुर (अप्रैल 2011), खगड़िया (मई 2008) एवं कटिहार (दिसंबर 2010) में आई.सी.यू. भवन का निर्माण किया गया जिसमें प्रत्येक की लागत ₹ 34.11 लाख थी। हाँलांकि मई 2011 तक उपकरण की खरीद के लिए उन्हें कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई गई।

---

60 *बेतिया, सारण(छपरा), पूर्णियाँ, नालंदा, औरंगाबाद, भोजपुर(आरा), गोपालगंज, सिवान, मोतीहारी, समस्तीपुर, मधेपुरा, रोहतास(सासाराम), मुंगेर, सीतामढ़ी, कटिहार, खगड़िया, मधुबनी, हाजीपुर, नवादा, बेगुसराय, सहरसा एवं जहानाबाद।*

61 *भोजपुर (आरा), नांलदा, मोतीहारी (पूर्वी चंपारण), मुंगेर, औरंगाबाद, मधुबनी एवं पटना।*

62 *आरा, बेगुसराय, कटिहार, खगड़िया, मोतीहारी एवं समस्तीपुर।*

- बेगुसराय जिले में आई.सी.यू. भवन को अभी भी (अगस्त 2011) पूरा किया जाना था जबकि नवंबर 2005 में हीं निधि (₹ 34.11 लाख) आवंटित कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त आरा एवं मोतीहारी जिले में कोई उपकरण क्रय नहीं किया गया जबकि निधियाँ (प्रत्येक को ₹ 20 लाख) उपलब्ध थी।
- मुंगेर में स्थल की अनुपलब्धता के कारण मई 2011 तक आई.सी.यू. भवन का निर्माण शुरू नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप साढ़े पाँच वर्षों तक ₹ 34.11 लाख अनियमित रूप से अवरूद्ध रहे। इसके बावजूद ₹ 17.86 लाख के आई.सी.यू. उपकरणों (₹ 20 लाख में से) का क्रय किया गया (फरवरी 2009) जो सदर अस्पताल, मुंगेर के भंडार में निष्क्रिय पड़ा हुआ था। अतः मुंगेर में निधि के अनियमित रूप से अवरूद्ध एवं निष्क्रिय उपकरणों पर व्यतित कुल राशि ₹ 54.11 लाख थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2011)। प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना ने जबाव दिया (अगस्त 2011) कि 22 आई.सी.यू. भवनों में से 20 पूरा हो चूके थे जब कि मोतिहारी, आरा एवं पटना जिले में उपकरणों के लिए प्रथम चरण में आवंटित निधि अव्यवहृत थी। हाँलांकि शेष चार जिलों में उपकरणों का क्रय किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त शेष जिलों में दिसबंर 2011 तक परिचालन करने के निदेश के साथ आई.सी.यू. उपकरण उपलब्ध कराने हेतु निधियाँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा था।

जवाब स्वयं में इस तथ्य की स्वीकारोक्ति था कि पाँच जिलों में पूर्ण भवनों का उपयोग अभीष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था। मुंगेर जिले में उपकरण के लिए निधि के अव्यवहृत रहने संबंधी वक्तव्य सही नहीं था क्योंकि ₹ 17.86 लाख उपकरण के क्रय पर पहले ही (फरवरी 2009) खर्च किया जा चूका था जिसे अक्टूबर 2011 तक निष्क्रिय रखा गया था। विभाग एवं जिला, दोनों ही स्तरों पर योजना के अभाव एवं खराब अनुश्रवण के कारण यह प्रस्ताव बाधित हुआ, जैसा कि भवन एवं उपकरण के बीच निधियों के बेमेल होने से परिलक्षित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.89 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ (निष्क्रिय भवनों पर ₹ 1.71[63] करोड़ एवं निष्क्रिय उपकरणों पर ₹ 17.86 करोड़ का)। इसके अतिरिक्त ₹ 76.25[64] लाख को अवरोधित किये जाने के परिणामस्वरूप नमूना जाँचित सात जिलों में आई.सी.यू. इकाइयों को संचालित नहीं किया जा सका जिसके कारण लोग सघन देखभाल सुविधा से वंचित रहे।

---

63 *भवन–रामरतीपुरः ₹ 34.11 लाख; खगड़ियाः ₹ 34.11 लाख; कटिहारः ₹ 34.11 लाख; आराः ₹ 34.11 लाख; मोतिहारीः ₹ 34.11 लाख।*

64 *उपकरण–आराः ₹ 20 लाख; मोतीहारीः ₹ 20 लाख; मुंगेरः ₹ 2.14 लाख एवं* ***भवन–*** *मुंगेरः ₹ 34.11 लाख।*